रिर्पोट

जल, जंगल, जमीन, जीवन, हवा, पर्यावरण और आजीविका की रक्षा के लिए आगे बढ़ें!

लोक पर्यावरण दिवस

5 जून, 2011

स्थानः खेगसू, लुहरी –कुल्लु, हि,प्र,

संदर्भ

'हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं, पर्यावरण विकृति और आजीविका की हानि'

'जरूरत' के बजाय 'विलासिता और मुनाफे' पर आधारित प्रकृति विरोधी–मानवविरोधी विकास के मॉडल का विरोध करें!

हिमालय नीति अभियान हि,प्र,

सतलुज बचाओ अभियान,

लुहरी जल–विद्युत परियोजना जन संर्घा समिति।

लोक पर्यावरण दिवस

विश्व पर्यावरण दिवस को खेगसू में 'लोक पर्यावरण दिवस' के रूप में मनाया गया। इस दिवस का आयोजन दुनियाभर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पर 5 जून को सरकारी योजन के रूप में तथा लोक और स्वयंसेवी कार्यक्रम के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। मानव और प्राकृति के बीच संतुलित सम्बंधों को बनाए रखने के लिए संघर्ष व वैकल्पिक कार्यक्रम बनाने और उसे कार्यरूप देने पर चिन्तन करने के लिए इसे मनाया जाता है। पर्यावरणीय विनाश तथा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के सम्बंध में भी चर्चा की जाती है।

आज पर्यावरण असंतुलन, वैश्विक गर्मी व जलवायु परिवर्तन मुखयतयः मानव द्वारा मनमाना मुनाफा कमाने व ऐशो–आराम के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किए जाने से हो रह है। सरकारें, अफसरशाही, व्यापारी, ठेकेदार तथाकथित विकास के नाम पर विश्व कारपोरेट जगत के इशारे पर इस तवाही को अनजाम दे रहा हैं। भूमि अधिग्रहण कानून की आड़ में सरकार ग्राम सभाओं व भूपति तथा उस पर आश्रित समुदाय से अनापति प्रमाण पत्र लेना भी महत्वपूण नहीं मानती और भूमि अधिग्रहण में हर जगह अत्यावश्यक धारा –17.4 का बहूधा प्रयोग किया जा रहा है। कंपनियों के इशारे पर सरकार राजस्व, आदिवासी, वन व पर्यावरण के कानूनों की भी अनदेखी करती जा रही हैं। इन परिस्थितियों पर विचार करके और सरकार की उधोगपतियों और कारपोरेट जगत को प्राकृतिक साधनों और मानवश्रम की अंधाधुंध लूट का अधिकार देते जाने के विरोध में सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति व हिमालय नीति अभियान के बैनर तले लोगों ने इस आयोजन को लोक पर्यावरण दिवस घोषित कर सारे हिमाचल प्रदेश के जन संघर्षों व अन्य राज्यों से आये प्रतिनिधियों के उनके क्षेत्रों के संघर्षो के अनुभवों के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के उदेश्य उन्हें मंच प्रदान किया।

लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए हुई 5–6–7 मई की जन सुनवाई के विरोध में मंडी, कुल्लु व शिमला जिला के किसान खड़े हुए। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि प्रदेशव्यापी विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन खेगसु–लुहरी में किया जाए। इस लिए अपरिहार्य स्थितियों में खेगसु (लूहरी) कुल्लु हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले इस दिवस को लोगों ने 'लोक पर्यावरण दिवस' का नाम देने का प्रस्ताव किया और इस अवसर पर सामूहिक प्राकृतिक संसाधनों की लूट व पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष का संकल्प लेने का निर्णय किया। पिछले बर्ष इस दिवस का आयोजन रिकोंग–पीयो किनौर में किया गया था।

हमारे देश में तथाकथित विकास के नाम पर और विश्व शक्ति बनाने का सपना दिखाकर सरकार पानी, पहाड, जंगल, खनिजों तथा भूमि को अंत हीन दोहन के लिए बडे–बडे उद्योगपतियों और बडी–बडी कम्पनियों के हाथ सोंपती आ रही है। आज देश के इन संसाधनों का मुनाफे के लिए दोहन, उद्योग–उधोगों के निर्माण संचालन व नियंत्रण का काम इनके ही हाथों में है। मानव संसाधनों के उपयोग और शोषण का अधिकार भी इनके पास है।

देश व प्रदेश में सामूहिक प्राकृतिक संसाधन, लूट व दुष्प्रभाव–चर्चा

हमारे देश में तथाकथित विकास के नाम पर और विश्व शक्ति बनाने का सपना दिखाकर सरकार पानी, पहाड, जंगल, खनिजों तथा भूमि को अंत हीन दोहन के लिए बडे–बडे उद्योगपतियों और बडी–बडी कम्पनियों के हाथ सोंपती आ रही है। आज देश के इन संसाधनों का मुनाफे के लिए दोहन, उद्योग–उधोगों के निर्माण संचालन व नियंत्रण का काम इनके ही हाथों में है। मानव संसाधनों के उपयोग और शोषण का अधिकार भी इनके पास है। इस नीति का एक निश्चित राजनीतिक अर्थशास्त्र है।

यों तो सरकार विश्व स्तर पर भूमंडलीय तापवृद्धि, पर्यावरण विनाश, ग्रीन हाउस के दुष्प्रभाव को लेकर अपने विविध मंचों पर बहुत सी बातें करती है; इसके नियंत्रण को लेकर बहसें, मंत्रणायें और वैश्विक घोषणायें भी की जाती हैं। इसके नाम पर अंर्तराष्ट्रीय वितीय संस्थान बहुत सा धन भी देते हैं परन्तु इनको अमली रूप देने की बात प्रायः नहीं होती। आज के दौर में शासकवर्ग विलासितापूर्ण उपभोक्तावादी जीवन शैली को अपनी जरूरत कहकर इसके कारण बिगडते जाते पर्यावरण की कोई परवाह नहीं करता और इसी विनाश को विकास कहता है।

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप में हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है। इस प्रदेश की जनसंख्या लगभग 70 लाख है। यहां रहने वाले लोग सदीयों से पशु पालन, खेतीबाडी और दस्तकारी करते आ रहे हैं। वर्तमान में बागवानी, सरकारी व गैर सरकारी नौकरी तथा अन्य स्वरोज़गारी कार्य समाज के बड़े हिस्से की आजीविका का आधार बन गया है। हिमालय से कई छोटी–बड़ी नदियां पर्वत ढलानों से घाटियों में उतरती हैं और इनकी कुछ विषमतल और कुछ समतल क्षेत्र से होती हुई मैदानी भागों में उतर जाती हैं । खेती योग्य भूमि प्राय नदी तटक्षेत्रों में ही रही है। वहां ही लोग अधिक संख्या में रहते रहे हैं। प्रदेश का उपरी पहाडी क्षेत्र ढलानदार है। यहां पर घने जंगल और हरी–भरी चरागाहें रही हैं। इन ढलानी भागों में भी कुछ भूमि खेती योग्य है। अतः यहां भी अबादी रही हैं। इस प्रकार युगों से हिमालय पर्वत का वर्तमान हिमाचल प्रदेश वाले भाग पर बसे लोगों का प्राकृति ही जीवन अधार बना रहा है। लोगों को खेती के लिए भूमि, पशु पालन के लिए वन और चरागाहें उपलब्ध रही हैं। नदीयों, चशमों व प्राकृतिक जल स्त्रोतों का पानी कुछ सिंचाई, कुछ पीने और पशुओं को पीलाने लिए काम आता रहा है जबकि काफी मात्रा में मैदानों की ओर बहता रहता है जो गंगा–सिंध के मैदानों को सिंचित करता है। नदी तटों के साथ बसे लोगों को मछलीयां भी उपलब्ध रही है जो उनके भोजन व आजीविका का साधन रहीं हैं। नालों, खडड़ों अर्थात नदीयों के सहायक जल स्त्रोतों का उपयोग पनचक्कियों में अन्न पिसने और परिवार के लिए थोडी सी आय जुटाने के लिए किया जाता रहा है।

युगों के अंतराल में नदी तटों पर छोटे–बड़े नगर बनते गए। नदियों पर घाट बनाए गए। मंदिरों का निर्माण किया गया। नदियों के अलावा सरोवरों और जल–स्त्रोतों का भी घाटों और स्नानागारों को बनाकर मेलों और पर्व स्नानों के लिए उपयोग होने लगा। समतल क्षेत्रों में नदियों को यातायात के लिए भी प्रयोग किया जाता रहा है। धोबीघाट और रंगरेजी का काम भी इन के साथ जूड़ा। श्मशानघाट भी नदी–नालों के साथ रहे। इस प्रकार नदियां और जलस्त्रोत समाज के जीवन, आजीविका के और संस्कृति के अभिन्न अंग रही हैं।

हिमालयी नदीयों और सभी तरह के जल स्त्रोतों के प्रमुख आधार हिमाच्छादित पर्वत हैं। वहां के हिमानी तोंदे (ग्लेशियर) कहलाते हैं। पर्वतों पर हर समय बर्फ मौजूद रहे और संतुलित कम में पिघलकर नदी–नालों और जलस्त्रोतों में पानी पहुंचता रहे–इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों में तापमान हमेशा संतुलित बना रहे । इसके लिए हिम क्षेत्रों में मानवीय छेड़–छाड़ न हो। नदी–घाटियो, पहाड़ियों व पहाड़ी ढलानों में भी इस प्रकार की गति विधियां अधिक न हो जो तापमान का संतुलन बिगाड़ती हों। तापमान को संतुलित बनाए रखनें और जल संरक्षण में हरे भरे और घने जंगलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण लोगों कि जलावन की लकड़ी, इमारती लकड़ी और घास–पती व जडी–बूटी की आवश्यकतायें भी जंगलों से ही पुरी होती हैं। इसीलिए जंगलों का उपयोग भी सीमा में होना चाहिए और इनके स्वाभाविक विकास की स्थितियां बनाई रखी जानी चाहिए ।

नदियों–नालों, जलस्त्रोतों, हिम पर्वतों, ग्लेशियरों व जंगलों का आधार तो धरती है। धरती सभी तरह की मानवीय और जीवमात्र की जीवन संबंधी गतिविधियों का क्षेत्र है। धरती पर ही खेतीबाडी होती है। बागवानी होती है। पशुपालन व पशुचारण होता है। आधुनिक दौर में हिमाचल प्रदेश में भी देश व दुनिया भर के अन्य क्षेत्रों की तरह जीवन के परम्परागत ढंग, प्राकृति और मानव संसाधनों के स्वरूप, प्रकृति और मानव के बीच के रिश्तों, सम्पति और समाज के बीच के संबंधों को आमूल–चूल बदल डालने की कारपोरेट जगत द्वारा नियंत्रित सरकारी नीति अधारित प्रकिया चल रही है। यह सरकारी नीतियां उन वर्गो को यहां के प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना दोहन करने और असीम मुनाफा कमाने का अधिकार ही नहीं दे रही–यहां के लोगों के जीवन और अजीविका के मूल अधिकार को भी छीन रही है। यही नहीं सरकार उन कानुनों और नियमों का बराबर उल्लंघन कर रही है जो जनता के जीवन और सम्पति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में है। सरकार लोगों की कृषि योग्य उपजाउ भूमि, अवासनीय भूमि और किसी भी तरह की लोगों के उपयोग में आ रही भूमि अधिग्रहित करके

सरकारी और निजी परियोजना निर्माण कंपनीयों को देती जा रही है। न बदले में रोजगार देती, न जमीन के बदले जमीन देती और न ही सही पुर्नवास की व्यवस्ता करती है। भूमि अर्धग्रहण कानून 1894 का उपयोग कर के बिट्रिश उपनिवेशवादियों की ही तरह लोगों के भूसम्पति व आवास के अधिकार को समाप्त कर देती है। इस पर विडम्बना यह कि वलपूर्वक किए गए भूमि अधिग्रहण को सर्वजानिक हित कहा जाता है। जबकि यह संविधान में घोषित नागरिकों के जींदा रहने के अधिकार के विरूद्ध है। भूमि तो आम आदमी की अजीविका का आधार होती है–अतः सम्पति से बढ़कर वह जीवन की सुरक्षा का साधन है। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में इसे लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संघात्मक राज्य लिखा गया है। संविधान के अनुसार देश की जनता निश्चित नियमों के अंतर्गत प्रतिनिधि आधारित सरकार–प्रतिनिधियों का चुनाव करके बनाती है। यह चुनी हुई सरकार संविधान के अनुसार काम करने के लिए संविधान की शपथ लेती है। चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि विधायक सांसद और राज्यों व केन्द्र के मंत्री जनता के प्रति जबाव देह होते हैं। संविधान सरकार को यह निर्देश देता है कि हर नागरिक के समानजनक ढंग से जीवन जीने के लिए उसे आजीविका के संसाधन मुहैया करे । परन्तु आज सारे देश में सरकार उपनिवेशवादी विरासत–भूमि अधिग्रहण कानून का सहारा लेकर कर समानजनक ढंग से जीवन जीने के इस अधिकार को समाप्त ही करती जा रही है।

धरती के सामूहिक प्राकृतिक संसाधन–जल, जंगल, जमीन, वायु व खनिज समूची जनता व जीव–जगत की सार्वजनिक सम्पति होती है। उद्योगों, ढ़ाचागत निर्माण व अन्य विकास कार्यों के लिए इनका उपयोग हो परंतु उन से हो वाले उत्पादन व सेवाओं से सारी जनता को समान लाभ सुनिश्चित हो। दुसरी बात यह है कि ये संसाधन केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं हैं। भविष्य के समाज को भी इन्हीं संसाधनों पर जींदा रहना है। अतः इन का संयत तरिके से दोहन होना चाहिए।

इन संसाधन पर उद्योग–जगत व कारपोरेट घरानों के नियंत्रण से जनता के जीन्दा रहने के मूल अधिकार वाधित होता है। बस्तुऐं, अन्न व सेवाऐं तो हम खरीद कर रहे हैं–अब पानी भी व्यापार की वस्तु बन गई है। अगर ऐसे हालात भविष्य में बने रहे तो समय आ सकता कि जनता को जीन्दा रहने के लिए हवा भी खरीदनी होगी।

संसाधन की अन्यायपूण बांट को रोकने के लिए यह बात सुनिश्चित होगा कि ऐसे संसाधन जो क्षेत्र विशेष में होते हैं और जिनका उपयोग जनता अपनी अजिविका के लिए परम्परा से करती आ रही हो–वें स्वतः जनउपयोगी संसाधन मान्य हों। उन्हें सरकार व किसी व्यापारिक संस्थान द्धारा दूसरे व्यक्ति, संस्था, समूह के उपयोग व लाभ के लिए हथियया नही जा सकता। अगर कोई संसाधन उपयोग से अधिक हो तो उसके अतिरिक्त भाग का उपयोग करने के लिए परम्परागत उपयोगकर्ताओं से बात की जाए और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वे उसे दूसरों को उपयोग करने दें।

नदी का पानी या जल स्त्रोतों का पानी या बर्फ से बना पानी यहां वंहा मनुष्य के लिए ही नही पशु पक्षियों की भी अवश्यकता होता है। धरती भी पानी पीती है और धरती से उसे पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। पानी बहता है। प्रवाह में बहता हुआ पानी भी और धरती में रिसा हुआ पानी भी धुप में भाप बनकर उपर उठता रहता है। उस जल प्रवाह के उपर भी और आर पार भी नमी बनती रहती है तथा नमी एक ओर धुल कणों से और दुसरे गर्मी के प्रभाव से घास जड़ी–बूटियों और पेड़–पौधों जीव–जंतुओं सब को बचाती है। वाष्प वायुमंण्डल पहुंच कर ठण्ड़े होते व फिर जल बूदों के रूप में धरती पर आते हैं। इस सारी प्राकृतिक व्यवस्था के लिए पानी का नदी नालों खड़ों झरनों में बहते रहना जीवन कम है। इस व्यवस्था को भंग करने या बदलने से सर्वाधिक रूप में प्राकृति व जीवन गम्भीर रूप से प्रभावित होता है।

आज प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में बांध और कई–कई किलोमीटर सुरगों बनाकर पानी को प्रवाहित कर पर्यावरण के संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ा है। बांधों के जलाशय से स्थानीय तापमान में बृद्धि होती है। तापमान के बढ़ने से पुनश्य नकारात्मक प्रभाव बढ़ते हैं। दूर पर्वतों पर जीम बर्फ पिघलने लगती है। जल स्तर अस्वाभाविक रूप में बढ़ता है। भूमि कटाव से बाढ़ तक की स्थितियां बनती है। बाधों में संचित जल भंडारों के कारण एक ओर भुकंप की तो दूसरी ओर किन्हीं क्षेत्रों में भारी असंतुलित वर्षा व वादल फटने की घटनाओं की स्थिति बन जाती है। बांध बनाकर बड़े आकार के जलाशयों में जल भडारण और भूमि गत सुंरगों में पानी को प्रवाहित करने और भूगर्भ में ही बिजली घर बनाकर बिजली उत्पादन करने की प्रकिया से क्या–क्या और कितने भूगर्भीय परिवर्तन होते हैं यह अध्ययन का विषय है। विशाल जलाशय में जमा पानी भूतल को भी प्रभावित करता है और आर–पार की मिटटी और चटटानों की प्राकृतिक दिवारों को भी लगातार नम और नर्म करता है जिस से भूसंखलन होता है।

सुरंगो की खुदाई विस्फोंटकों द्धारा चटटानों को तोड़नें और पत्थर और मिटटी को मशीनों द्धारा निकालने की प्रकिया तो धरती को लगातार कंम्पाती ही नही धरती धमाकों से हिलाती भी रहती है और पहाड़ियों और पहाड़ी ढ़लानों की कमजोर ढ़िली परतों में भूक्षर्ण और भूमि–कटाव की स्थितियां निर्मित कर देती है। लगातार के धमाकों और कम्पन से पहाड़ के और पहाड़ी ढ़लानों पर के प्राकृतिक जल स्त्रोत सुखते जाते हैं। पेड़ पोधों के सुखने का क्रम चल पड़ता है। पहाड़ी ढ़लानों पर के गांवों के घरों और गौशालाओं मे दरारें पड़ जाती व कई मकान तो गिर जाते है। खेती बगीचे चरागाहें सब कुछ तवाह होता और तवाह होने लगता है। सुंरगे बनाने पर जो मलबा उनसे निकाला जाता है। वह या तो ढ़लानों से नदी में फैंक दिया जाता है या यहां–वहा उसके ढ़ेर लगा दिए जाते है। यदि उसके लिए कोई स्थान निश्चित भी होता है तो बरसात के दिनों में बह कर नदी में ही पहुंचता है। यह हिमाचल प्रदेश के आज तक के अनुभव हैं जिन्ह यहां की लोग 1960–भाखडा बांध के समय से देख व अनुभव कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में जल संसाधनों का व्यवसायीक दोहन–चर्चा

पश्चिमी हिमालय के हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में अनेकों छोटी बडी नदियां है। जिनमें सदा जल प्रवाहित होता रहता है। मध्य और पूर्वी हिमालय क्षेत्र से भी अनेकों सदानीरा नदियां प्रवाहित होती है। भारत स्वन्त्रत हुआ तो कृषि प्रधान गरीब देश था परंतु गरीब इसलिए था कि ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने लुटेरी जमीदारी प्रथा कायम की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई सरकार ने गरीब कृषि प्रधान देश को समृद्ध औद्योगिक देश बनाने का कार्यकम बनाया । पंचवर्षीय योजना बनाई गई। औद्योगिक विकास का ढ़ाचा विकसित करने के लिए बिजली उत्पादन को सबसे आवश्यक माना गया। इसके लिए पनबिजली परियोजनायों, थर्मल, न्यूक्लियर, व गैर परम्परागत बिजली परियोजनायों का निर्माण आरम्भ किया गया।

हिमाचल प्रदेश में जो नदियां बहती हैं उसमें सतलुज में सबसे अधिक पानी 37:, ब्यास में 25:, चिनाब में 14.2:, यमुना में 10. 6:, रावी में 9.9: , सिंध में 2.6:, मारकंडा में 0,6: गंगा में 0.6: और घघ्धर में 0.6: बह कर तराई के गंगा–सिंध के मैदानों को जाता है। सरकार ने इन नदियों में बहने वाले जल पर पन–बिजली परियोजनाएं स्थापित करके अनंत कमाई करने की नीति बना ली–जिससे स्थानीय लोगों कि आजीविका तथा पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आरम्भ में भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारें संयुक्त रूप से बड़ी परियोजनाओं के निमार्ण करने लगी। बाद में निजी क्षेत्र की कम्पनीयों को निमार्ण की इजाजत दे दी। आज हमारे प्रदेश में 6370 मैगावाट जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जा रहा है। निर्माणधीन परियोजनाओं से 5744,10 मैगावाट का उत्पादन जल्दी आरम्भ होने वाला है। 5615,50 मैगावाट की परियोजनाओं को निर्माण के लिए स्वीकृत मिली है। 2785 मैगावाट की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए जांच चल रही है। इस तरह कुछ सालों में प्रदेश में 17629 मैगावाट विद्युत उत्पादन होने वाला है जबकि प्रदेश कि नदियों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 20475 मैगावाट आंकी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में जो नदियां बहती हैं उसमें सतलुज में सबसे अधिक पानी 37:, ब्यास में 25:, चिनाब में 14.2:, यमुना में 10.6:, रावी में 9.9: , सिंध में 2.6:, मारकंडा में 0,6: गंगा में 0.6: और घघ्धर में 0.6: बह कर तराई के गंगा–सिंध के मैदानों को जाता है। सरकार ने इन नदियों में बहने वाले जल पर पन–बिजली परियोजनाएं स्थापित करके अनंत कमाई करने की नीति बना ली–जिससे स्थानीय लोगों कि आजीविका तथा पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आरम्भ में भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारें संयुक्त रूप से बड़ी परियोजनाओं के निमार्ण करने लगी। बाद में निजी क्षेत्र की कम्पनीयों को निमार्ण की इजाजत दे दी। आज हमारे प्रदेश में 6370 मैगावाट जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जा रहा है। निर्माणधीन परियोजनाओं से 5744,10 मैगावाट का उत्पादन जल्दी आरम्भ होने वाला है। 5615,50 मैगावाट की परियोजनाओं को निर्माण के लिए स्वीकृत मिली है। 2785 मैगावाट की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए जांच चल रही है। इस तरह कुछ सालों में प्रदेश में 17629 मैगावाट विद्युत उत्पादन होने वाला है जबकि प्रदेश कि नदियों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 20475 मैगावाट आंकी जा रही है।

पहली पंचवर्षीय योजना के समय हिमाचल प्रदेश में भाख़ड़ा वांध बहुउद्देश्य पन बिजली परियोजना का निर्माण किया गया। सन 1956 ई. में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखडा के पनबिजली घर का उद्घाटन किया। इसकी उत्पादन क्षमता 1325 मैगावाट है। इतनी बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन से पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली और राज स्थान में और कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में उद्योग निर्माताओं और अन्य को तो लाभ हुआ परंतु बिलासपूर नगर व 371 गावों बांध से बनी गोबिन्द सागर झील में डूब गए, जिस में 23863 एकड़ कृषि भूमि तथा 20290 एकड़ वन भूमि जलमगन हो गई। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उस समय डूव–क्षेत्र में कुल 11777 परिवार रहते थे, जिन की कुल जनसंख्या 36000 थी। परन्तु इस गिनती में भूमिहीन शामिल नहीं किये गये। उनके घर व जमीन सब कुछ जलमग्न हो गया। बिलासपूर और मंडी जिले के कुछ क्षेत्र से, उना जिला के अन्तर्गत लठयाणी क्षेत्र तक उपजाउ कृषि भूमि भाखडा बांध की झील में समा गई। जिन परिवारों की कृषि भूमि और चरागाहें परियोजना की भेंट चढ गई पेड पौधे और जलस्रोत डूब गए उन में से तकरीवन 3000 परिवारों को पुनर्वास के लिए हरयाणा के सीरसा, हिसार, फतेहबाद जिले के 31 गावों में जमीनें दी गई। परंन्तु वहां के जलवायु, संस्कृति आदि के भिन्न होने व हरयाणा सरकार द्वारा उनको बसाने में मदद न करने से बिलासपूर के कुछ विस्थापित परिवार वापिस आए और आज तक अनेकों परेशानियों के शिकार है। हजारों परिवारों को अंशिक मुआवज़ा दे कर निपटा दिया गया। 60 वर्ष से अधिक हो गए। लोगों की चौथी पीढी आ गई। कुछ परिवारों को बिलासपूर में जगह दी गई उनका भी कानूनी ढंग से बसाव नहीं हुआ है।

नगर के विस्थापितों के लिए पुराने नगर के उपर तीन गावों का अधिग्रहण करके नगर बसानें के लिए लीज पर प्लाट दिए। लोगों को सरकार द्वारा तैयार प्रारूप के अनुसार मकान और दुकानें बनानी पडी। कानूनी तौरपर

आज भी बिलासपुर नगर लीज की भूमि का नगर है। सैंकड़ों वर्षो से घरों दुकानों व बगीचियों के मालिक लोगों की जमीन राष्ट्रहित के नाम पर ली, चारागाहों की जमीन ली, जंगल लिए और बदले में जमीन लीज पर दी या ग्रामिण क्षेत्रों में बिना पटटे के ज़मीन पर करने को कह दिया। इस प्रकार राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व देने वाले लोगों को राष्ट्रीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार तक नही मिला। सदा के लिए विस्थापित बना डाला। मुआवजा तो गत शती के 50 के दशक में इतना कम दिया गया कि कोई भी परिवार उससे एक बर्ष का गुजारा नही कर सकता था। इस प्रकार सरकार ने देश के नव–निमार्ण और विकास के लिए 1325 मैगावाट का बडे पैमाने का बिजली उत्पादन व तराई में सिंचाई परियोजना शुरू की। बांध से आगे बहने वाले पानी की नहरों से पंजाब, हरयाणा और राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था हुई है जो अपने निर्धारित सिंचाई के लक्ष्य को आज तक नहीं प्राप्त सकी। इस बहु–उद्देश्य परियोजना के निमार्ण के लिए बिलासपूर, उना और मंडी जिलों के लोगों को उजाडा दिया गया। यदि भारत की सरकार सचमुच राष्ट्रीय सरकार है तो इसका यह कर्तव्य था कि वह बिजली उत्पादन शुरु होने पर बिलासपुर और मंडी क्षेत्र के विस्थापित लोगों को इस की आय से स्थायी तौर पर इन्हें अपने आवास और आजीविका के आधार निर्मित करने के लिए हिस्सा देती, जिससे वे विस्थापन जनित आभाव की पूर्ति करते।

भाखड़ा बांध और पन बिजली घर के निमार्ण के बाद ब्यास नदी के पानी को सतलुज में मिलाने के लिए ब्यास सतलुज लिंक परियोजना का काम आरम्भ हुआ। गतशती के साठ के दशक में इस का काम आरम्भ करवाया गया। मंडी जिला में पंडोह नामक स्थान पर ब्यास नदी पर बांध बनाया गया। वहां से 12 किलोमीटर सुरंग से पानी खुली नहर से वग्गी (बल्ह क्षेत्र) पहुंचाया गया। फिर इतनी ही लम्बी खुली नहर द्वारा सुन्दरनगर में बनाई गई झील में व वहां से फिर 12 किलोमीटर लम्बी टनल द्वारा सलापड पन बिजली घर तक पहुंचाया गया। यहां 920 मैगावाट बिजली का उत्पादन होने लगा तथा इससे निकल कर ब्यास का पानी सतलुज में मिलाया गया। यह पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। इसके लिए बनाई गई दो सुरंगों के उपर की पहाडीयों में जलस्रोतों के सुखने, वनस्पति, जीव–जन्तुओं के प्रभावित होने, भूमि कटाव और भूक्षरण की समस्याओं के पैदा होने से लोग परेशान हुए। लोगों में जानकारी के अभाव के कारण उस समय सुरंगों के उपर की पहाडीयों पर व ढलानों पर पड़े प्रभाव का कारण परियोजना निमार्ण को सरकार व लोगों ने नहीं माना। अतः उनको किसी भी तरह के नुक्सान की भरपाईकी बात नहीं हुई।

पंडोह, बग्गी से सुन्दरनगर तक नहर बनाने के लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग पंडोह, बग्गी, सुन्दरनगर, हराबाग और सलापड़ में कालोनियों, वर्कशापों व अन्य निमार्ण कार्यों के लिए बी0बी0एम0बी0 द्वारा किया गया। अधिग्रहित भूमि जो लोगो की उपजाउ, समतल और अधिकांशत सीचित भूमि थी का मुआवजा तो दिया गया परंतु इस की दर भी बहुत कम थी। इस परियोजना के विस्थापतों का भी सरकार द्वारा उचित बसाव नहीं किया गया व न ही भूमि के बदले भूमि दी गई। पहली इन इन दो बड़ी परियोजनाओं के निमार्ण से ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि सरकार हिमाचल प्रदेश के जल संसाधनों का दोहन मोटी कमाई के लिए करना चाहती है–जब कि बदले में जनजा को कुछ नहीं दिया गया।

देश में बिजली उद्योगपतियों को और भूमिपतियों को लगभग मुफ्त देती रही है और आज भी देना चाहती है परंतु हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो मुख्य रूप से जो खेतीवाड़ी, बागवानर, पशुपालन, दस्तकारी आदि से जीवन यापन करते रहे हैं। उन से विकास के नाम पर उन की कृषि भूमि का अधिग्रहण करके और कुछ रकम मुआबजे के नाम पर देकर, बिना उचित पुनर्वास व पुनस्थापना की व्यवस्था किए सदा के लिए बन्जारा बना देती है।

भाखडा व पोंग बांध का इतिहासिक विस्थापन

भाखडा बांध से बिलासपूर नगर व जिला के 371 गावों बांध से बनी गोबिन्द सागर झील में डूब गए, जिस में 23863 एकड़ कृषि भूमि तथा 20290 एकड़ वन भूमि जलमगन हो गई। राजस्व रिकार्ड के अनुसार उस समय डूव–क्षेत्र में कुल 11777 परिवार रहते थे, जिन की कुल जनसंख्या 36000 थी। परन्तु इस गिनती में भूमिहीन शामिल नहीं किये गये। मुआवजा इतना कम दिया गया कि कोई भी परिवार उससे एक बर्ष का गुजारा नहीं कर सकता था। इस बहु–उद्देश्य परियोजना के निमार्ण के लिए बिलासपूर, उना और मंडी जिलों के लोगों को उजाडा दिया गया। पूनर्वास व पून्यस्थापना का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है। भाखडा ब्यास परियोजनाओं से हिमाचल को 7.19% बिजली का भाग पंजाब के पुन्रागठन करार के मुताविक व 12% भाग होस्ट/मात्री राज्य का हिस्सा भी अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा। मामला उच्चतम न्यायलय में पडा है। भाखडा और बी0एस0 एल0 परियोजना के बाद ब्यास नदी पर 70 के दशक में पौंग–डैम बनाया गया जिस में 18000 के करीव विस्थापितों हुए परिवारों का भी यही हश्र हुआ। हज़ारों एकड़ भूमि जल मग्न हुई। पोंग बांध विस्थापितों को राजस्थान में श्री गंगानगर क्षेत्र में बसाने की बात की थी। बाद में उन्हें भारत पाक सीमां जसलमेर में भूमि देने की बात हुई परन्तु बहुत से परिवार सरकार लापरवाही व स्थानीय प्रतिकूल पस्थितियों के चलते वहां नहीं बस पाए। इस परियोजना के विस्थापित आज भी न्याय के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने को विवश है। मामले अभी भी उच्चतम न्यायलय में लम्बित हैं।

सतर के दशक से अब तक चम्बा में राबी पर बैरा–सियूल हाइड्रल प्रोजेक्ट, चमेरा 1–2 और 3 प्रोजेक्ट बनाए गए। भरमौर चम्बा में कई परियोजनाए बन रही हैं। मंडी में ब्यास और इस की सहाये नदियों पर हुल, बस्सी, पौंग, पार्वती 2–3, मलाना 1–2, एलायन धुन्गन, सैंज और लारजी प्रोजेक्ट बनाए गए व बनाए जा रहे हैं। उन से भी हजारों मैगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा और होने वाला है। यहां भी भूमिगत सुरंगों का निर्माण किया गया और किया जा रहा है। लारजी प्रोजेक्ट के साथ मंडी कूल्लू सड़क पर थलौट और औट के बीच लगभग 3 किलोमीटर सुरंग यातायात के लिए बनाई गई है। जिसमें से गुजरते हुए कार्बन धुएं से दम घुटने लगता है। इन बडे प्रोजेक्टों के अतिरिक्त कुछ छोटे प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं।

सतलुज नदी और जल विद्युत उत्पादन

हिमाचल प्रदेश की सबसे बडी नदी सतलुज पर सबसे अधिक पन बिजली परियोजनाओं का निर्माण हुआ और हो रहा है। इस पर सब से बडी परियोजनाओं में नाथपा झाखडी 1500 मैगावाट, बस्पा–2 300 मैगावाट और संजय विद्युत परियोजना 120 मैगावाट तथा चार छोटी छोटी परियोजनायें बन गई है । सब का विद्युत उत्पादन 1950 मैगावाट है। भाखडा परियोजना के 1325 मैगावाट उत्पादन को जोड कर यह 3275,25 मैगावाट बनता है। सतलुज पर निर्माणधीन परियोजनाओं में कडछम वांगत 1000 मैगावाट, कोल डैम 800 मैगावाट और रामपुर 412 मैगावाटकी बडी परियोजनाएं है। कांशग 66 मैगावाट की और रोंग टोंग–कडछम 402 मैगावाट जिनकी उत्पादन क्षमता 2694,50 मैगावाट होगी। पॉंच अन्य विचाराधीन योजनाओं में खाब 636, कशांग–2 60 मैगावाट, कशांग–3 132 मैगावाट, सोरंग 60 मैगावाट और लुहरी 775 मैगावाट की है। इनका कुल उत्पादन 1588 मैगावाट होगा। यंगथंग खाब 261, जांग थोपान 480, थोपान पोआरी 480, टिडांग–1 60 और टिडांग–2 70 मैगावाट जांच के स्तर पर है। इनका कुल उत्पादन 1351 मैगावाट होगा। अन्य सात परियोजनाओं जिनसे 604 मैगावाट उत्पादन हो सकेगा, के आवेदन भी विचाराधीन है। इन सब परियोजनाओं का निर्माण हो जाने पर 5633 मैगावाट विद्युत उत्पादन और होने लगेगा।

इतने बडे स्तर पर सतलुज नदी में विद्युत परियोजनाएं लगने से सतलुज नदी को भविष्य में खाब से बिलासपूर की सीमा में प्रवेश करने के स्थान तक सुरंगों में बंद कर दिया जाएगा। बिजली घर भी भूमिगत हैं। दो जगह परियोजनाओं में झीलें बनाई गई है जबकि बिलासपूर में नदी गोविन्द सागर झील में बदल गई है तथा कई और झीलों का निर्माण होंना है। पूरे किन्नौर, शिमला, कुल्लु व मंडी क्षेत्र के कुछ हिसों से सदियों से छल छल कर बहती सतलुज का जल प्रवाह कुछ सालों बाद नहीं दिखेगा। इससे पुरी नदी घाटी की सभ्यता पर विपरीत असर होगा व जलवायु बदल जाएगा। पूरे प्रदेश में वहनें वाली पांचों नदियां –ब्यास, सतलुज, यमुना, राबी तथा चिनाब इन परियोजनाओं द्वारा प्राकृतिक यात्रा पथ से भूमिगत कर दी जाएगीं।

शुक्ला कमेटी रिपोट

इन विद्युत परियोजनाओं के दुष्प्रभावों को महसूस कर हिमाचल उच्च न्यायलय के आदेश पर एक जांच कमेंटी पिछले साल बनाई गई। इस शुक्ला कमेटी ने अपनी जांच रिपोट में बताया कि अगर राबी नदी पर प्रस्तावित परियोजनाएं बन गई तो उस के बाद राबी नदी केवल तीन किलोमीटर प्राकृतिक रुप में खुली दिख पाएगी। इस तरह यह नदी टनल व झीलों में बन्ध जाएगी। उन्हों ने सुझाव दिया कि एक–एक परियोजना के बदले पूरी नदी घाटी का संपूर्ण पर्यावरण प्रभाव अंकेक्षण (EIA) हो, 15 प्रतिशत पानी खुला नदी में छोड़ा जाए, प्रत्येक परियोजन की आपसी दुरी 5 किलोमीटर हो। अभी तक इन सुझावों पर अमल नहीं हो रहा है।

शुक्ला कमेटी रिपोट

इन विद्युत परियोजनाओं के दुष्प्रभावों को महसूस कर हिमाचल उच्च न्यायलय के आदेश पर एक जांच कमेंटी पिछले साल बनाई गई। इस शुक्ला कमेटी ने अपनी जांच रिपोट में बताया कि अगर राबी नदी पर प्रस्तावित परियोजनाएं बन गई तो उस के बाद राबी नदी केवल तीन किलोमीटर प्राकृतिक रुप में खुली दिख पाएगी। इस तरह यह नदी टनल व झीलों में बन्ध जाएगी। उन्हों ने सुझाव दिया कि एक–एक परियोजना के बदले पूरी नदी घाटी का संपूर्ण पर्यावरण प्रभाव अंकेक्षण (EIA) हो, 15 प्रतिशत पानी खुला नदी में छोड़ा जाए, प्रत्येक परियोजन की आपसी दुरी 5 किलोमीटर हो। अभी तक इन सुझावों पर अमल नहीं हो रहा है।

जल विधुत उत्पादन की यह भूख पछले कुछ सालों से बढ़ती ही गई है क्योंकि इससे सरकार की आय खुब बढ़ी है। विद्युत उत्पादक कम्पनियों, निर्माण कम्पनियों व ठेकेदारों, सिमेंट तथा इस्पात कम्पनियों व उधोगपतियों को भी खूब फायदा हुआ है। इस दौरान राज नेताओं और अफसरों के इन उधोगपतियों के साथ संघन संबंध बने हैं जिस से मोटी कमीशनें खाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

लोक पर्यावरण दिवस खेगसु–कार्यवाही

इस अवसर पर आसपास की कुल्लु, शिमला व मण्डी की लगभग 30 पंचायतों व प्रदेश भर के 15 जन आंदोलनों तथा सहयोगी संगठनों के 1500 से अधिक प्रतिभागियों सुबह 11 बजे मार्केटींग यार्ड खेगसु में अपनी गाड़ियों से पहुंचे। कडकती धुप में 11.30 बजे कार्यक्रम शुरु किया गया। प्रत्येक संगठन से एक साथी को मंच पर अध्यक्ष मण्डल के रुप में बुलाया गया।

हिमाचल के नदी घाटी क्षेत्र के लोगों के जीवन और आजीविका और पर्यावरण के विकृत होने की स्थितियां कितनी भयावह हैं इस संबंध में लोक पर्यावरण दिवस खेगसु लुहरी
में वक्ताओं ने निम्न बातें की है–

सब से पहले स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान श्री यशपाल ने बाहर से पधारे प्रतिभागियों का स्वागत किया व लुहरी परियोजना के विरुद्ध चल रहे उनके आंदोलन में सभीयों का सहयोग मांगा। मंच पर बैठे सभी साथियों का श्री अतुल शर्मा व दयाल वर्मा ने किनौरी टोपी पहना कर स्वागत किया।

नाटक मण्डली ने एक पर्यावरण गीत गा कर सतलुज घाटी पर आने वाले खतरों को इंगित किया।

लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए हुई 5–6–7 मई की जन सुनवाई के विरोध में मंडी, कुल्लु व शिमला जिला के किसान खड़े हुए। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि प्रदेशव्यापी विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन खेगसु–लुहरी में किया जाए। इस लिए अपरिहार्य स्थितियों में खेगसु (लूहरी) कुल्लु हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले इस दिवस को लोगों ने 'लोक पर्यावरण दिवस' का नाम देने का प्रस्ताव किया और इस अवसर पर सामूहिक प्राकृतिक संसाधनों की लूट व पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष का संकल्प लेने का निर्णय किया।

कार्यवाही का संचालन गुमान सिहं संयोजक हिमालय निती अभियान द्धारा किया गया। सब से पहले बाहर से आए सभी साथियों का परिचय करवाया गया। इसके उपरांत चर्चा शुरू करते हुए गुमान सिंह ने आज के इस दिन को लोक पर्यावरण दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। जिसे सभी उपस्थित लोगों ने हाथ खड़ा कर के पारित किया। आज की चर्चा का निश्चित विष्य 'हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं, पर्यावरण विकृति और आजीविका की हानि' है। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की सरकारी नीति का निश्चित राजनीति अर्थशात्र है। विकास का नवउदारवादी मॉडल जो प्राकृतिक संसाधनों की असीम लूट करके उद्योगपतियों और कम्पनियों को मनमाना मुनाफा कमाने की छूट देता है और विशाल जनता जिसके ये संसाधन जीवन और आजीविका के आधार रहे हैं उन को इन संसाधनों जल–जंगल–जमीन से वंचित करता है। हवा को प्रदूषित करता और वायुमण्डल में नकारात्मक प्रभाव बढ़ाता है। विकास के इस नव उदारवादी मॉडल में तीव्र से तीव्रतर विकास व वतर्मान गति को बनाए रखने के लिए उर्जा की आवश्यकता है। इस लिए उर्जा के रूप में जल विद्युत को इस तथाकथित विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता साधन माना जा रहा है।
प्रदेश भर से व प्रदेश से बाहर से आए विभिन्न संघर्षरत जन संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनन्दन करते हुए श्री गुमान सिंह ने अपील की मंच से बोलने वाला साथी सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति के साथ अपने संघर्षों के अनुभवों को बांट कर इनके आंदोलन को सफलता तक जारी रखने की प्ररेणा बनें। शिमला, मंडी और कुल्लू क्षेत्र के जन सभा में आए पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रधान, उप प्रधान पंचायत समिति सदस्यों,जिला परिषद् के सदस्यों ने बारी–बारी से प्रदेश व दिल्ली व उतराखण्ड से आये जन संगठनों के प्रतिनिधियों और तीनों जिलों से आयोजन में आयें पुरूषों और महिलाओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और सतलुज बचाओं जन संघर्ष समिति के साथ एक जुटता प्रदर्शित करने के लिए आने पर हार्दिक व्यक्त किया।

श्याम सिंह चौहान

जिला परिषद् सदस्य करसोग व सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति के संगठनकर्ता श्याम सिंह चौहान ने मंच से कहा मंडी, कुल्लू और शिमला तीनों जिलों के सतलुज के आर पार के सैकडों लोग इन तीनों जिलों के सीमान्त पर लुहरी बांध व सुरगं निमार्ण का विरोध करने के लिए जन सभा में आए है। रामपुर में 412 मैगावाट की परियोजना के बाद लुहरी परियोजना का काम आरम्भ किया जा रहा है। इस परियोजना का सबसे खतरनाक और गंभीर पक्ष यह है कि बांध से बिजली घर व निमार्ण स्थल तक 38,138 लम्बी 60–60 फीट ब्यास की दो विशाल सुरंगों में प्रवाहित कर ले जाया जायेगा। इतनी लम्बी सुरंग अभी तक और कहीं भी नहीं बनाई गई। इस सुंरग के बना लिए जाने और उस में पानी डाल देने के बाद निरथ से मरोला तक का नदी प्रवाह क्षेत्र सदा के लिए सुख जायेगा। इससे नदी घाटी के दोनों ओर दस किलोमिटर उंचाई तक के क्षेत्रों तक सीधे तौर पर वहां से आगे –पीछे दूर तक जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पडेगा। बांध की झील और 40 किलोमीटर सुखे नदी पथ के कारण क्षेत्र का तापमान बढ़ जायेगा। तापमान के बढ़ने से शिमला और कूल्लू क्षेत्र के सेब के बगीचे बरवाद हो जायेगे। इस प्रकार इन क्षेत्रों के लोगों की आजिविका व आर्थिक खुशहाली समाप्त हो जायेगी। मंडी क्षेत्र के बगीचों पर भी ऐसा ही नकारात्मक प्रभाव पडेगा। नदी में पानी के प्रवाह के समाप्त हो जाने से इस के आर–पार वनस्पति, पशु–पक्षीयों व लोगों को गर्मी और प्रखर सूर्य किरणों के प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। ढ़लानों और ढ़लानों के उपर के भूभाग से नमी की मात्रा घट जायेगी। यहां के जलस्रोत सूख जायेंगे। जगलों, खेतीबाडी और पशु–पालन पर भी बहुत बुरा असर होगा। सरकार और परियोजना अधिकारियों ने निरथ, खेगसु और परलोग में जन–सुनवाई रखी थी जिस का हमने विरोध किया क्योंकि जन–सुनवाई की कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। लोगों ने जन–सुनवाई को अर्थ हीन कहा और ए0 डी0 एम0 व प्रोजेक्ट वालों के विरूद नारा बाजी की। श्री गुमान सिंह को बाहर का व्यक्ति कह कर बोलने नहीं दिया तो लोग विरोध के लिए उठ खडे हुए। लोगों के उपर केस बना डाले। परलोग में जनसुनवाई की बैठक का लोगों ने जोरदार विरोध किया और प्रशासन और प्रोजेक्ट के लोगों को भगा दिया। कम्पनी वालों ने बिना वन विभाग की इजाजत के वन में खम्भे लाग दिए हैं जो वन संरक्षण कानून सीधा उल्लंघन है। श्याम सिहं जी ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। तीनों जिलों में पंचायतों में संघर्ष समितियां बनाई जा रही हैं। हम किसी भी हालात में इस तरह की 38 किलोमीटर सुरंग वाली लुहरी परियोजना नहीं बननें देंगे।

श्री आर0एस0 नेगी

श्री आर0एस0 नेगी संस्थापक हिम लोक जागृति मंच, किन्नौर ने कहा – किन्नौर में लोग प्रोजेक्टों के विरूद्ध लम्बे समय से लडाईयां लडते आ रहे हैं। यह बहुत कठिन काम है। पहले जनता की एकता चाहिए। क्योंकि मुकाबला कम्पनियों और सरकार की ताकत से है। कम्पनी वाले लोगों की एकता तोडने के लिए बहुत कुछ करते हैं। गांवों के प्रभावशाली लोगों को पकडते हैं। मकान बनवा देते है। गाडी खरीद कर देते है। कुछ लोगों को काम दे देते है। ग्राम सभा में भी प्रभावशाली लोग होते है। वे उन्हीं की सहायता लेते हैं। लोगों के संगठन के नेताओं को खरीद लेते हैं। कई नेता लालच में आकर बिक भी जाते हैं। इसलिए संघर्ष करना है तो जन जागृति करें। हमारा संगठन जन जागृति का काम लगातार करता है। इस के लिए बहुत पढनें की जरूरत होती है। मुद्दे के सम्बन्ध में नई–नई जानकारियां जुटानी होती है। उनको लेकर लिखना होता है। ऐसी सूचनांए जन जागृति में सहायक होती है। लोग ऐसे में समस्या को ठीक समझ पाते हैं।

उन्हों ने बताया कि टनल से उस के उपर की ढ़लानों और पहाड़ीयों पर के मकानों में दरारें आएगी, घर गिर सकतें हैं। जलस्रोत सूख जायेगे। गर्मी बढेगी। नदी गायब होगी। बायो डाइवर्सिटी व इको–सिस्टम बिगड़ेगा। इस विषय पर भरत झुनझुनवाला की एक किताव आई है। यह किताब जरूर खरीदनी चाहिए और बहुत से लोग इसे पढें। मेरा मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है। प्रोजेक्ट बनाने वाले आप को पैसा बहुत देंगे सब भरपाई कर देगे का वादा करेंगे। मगर पानी नहीं दे सकते–यह पर्यावरण नहीं दम सकते।

अम्बानी ने मुम्बई में 27 मंजिलों का घर बनाया है। उसमें 27 लाख रूपये की बिजली प्रयोग की जाती है। जबकि करोडों लोगों को घरों में रोशनी के लिए बिजली नहीं मिलती है। यह विकास और बिजली किस के लिए ? धनवानों और बडों लोगों के लिए या सब के लिए ? इसके बटंवारे में समानता कहां है ? जो विकास हो रहा है उस से बडों का मुनाफा ही बढता जा

रहा है। वर्तमान में जो विकास किया जा रहा है वह आम जनता का विरोधी भी है। देश द्रोही भी है। मानव अधिकारों अधिकारों, पर्यावरण व लोकतन्त्र का दुश्मन है। हर पांच साल बाद चुनाव आंऐगे। अतः ऐसे विकास वाली सरकार को हम बदल भी सकते हैं।

हमें मौसम, तापमान, हवा में प्रदूषण, विस्थापन व तमाम तरह के कानूनों की सूक्ष्म और तथ्य मूलक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कम्पनी वालों और सरकारी अधिकारियों से तब बात करना अर्थपूर्ण होता है वरना वे मजाक करते और बातचीत से बच निकलते है। आज हमारे यहां भी पढ़े लिखे बुद्धि–जीवी गांवों में हैं। अन्तः ऐसे बुद्धिजीवीयों को खोजें। उनका समूह बनाए तथा उन को तथ्य और तर्क वाला ज्ञान को संग्रहित करने के काम में लगाएं। परियोजनाओं का निर्माण करने वाली सरकारी और गैर–सरकारी कम्पनियां पर्यावरण के घाटे की भरपाई के लिए कुछ नहीं देती जबकि यह घाटा तो स्थायी और सर्व–कालिक होता है। इसी प्रकार नदियों को सुरंगों में बंद करके इनके धार्मिक–सांस्कृतिक उपयोग के युगों युगों के क्रम नष्ट कर दिया जाता है। अमेरिका में इस प्रकार की प्राकृतिक व परम्परा मूलकता को बनाए रखने के लिए वाइल्ड ऐंड सीनिक ऐक्ट बना दिया गया है। उसके प्रावधानों के अनुसार नदी से छेड छाड नहीं की जा सकती। हमारे यहां भी ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के आग्रह पर हिमाचल सरकार ऐनवायरनमेंन्ट मास्टर प्लान 31 जुलाई 2011 तक बनाने जा रही है। हमें भी इस के लिए अवश्य सुझाव भेजने चाहिए। आपके यहां नेतृत्व की कमी नहीं है। सतलुज के इस क्षेत्र के 40 किलोमिटर के खुले प्रवाह को बचाने के लिए किये जा रहे संघर्ष को सफल बनाने के लिए डटे रहें। किन्नौर समेत सारे हिमाचल प्रदेश के जन आंदोलनों के लोग आप के साथ हैं।

अनिरूद्ध सिंह

शिमला की जिला परिषद् के अध्यक्ष श्री अनिरूद्ध सिंह के अनुसार सतलुज बचाओं अभियान एक सोच के साथ शुरू हुआ है। इस परियोजना से 40 किलोमिटर नदी का प्रवाह पथ सुखेगा। पानी सुरंग के भीतर बहेगा। नदी के आर–पार की ढलानों पहाडीयों और वस्तियों के जल–स्रोत सुखेगे, पेड–पौधे जीव, लोग सब प्रभावित होगे। बहुत अच्छी बात है कि लोग बड़ी संख्या में बांध और सुरंग के निर्माण के विरोध के लिए यहां आये हैं। हमें अपने लिऐ ही नहीं भावी पीढियों के लिए भी नदी बचानी है। हमारे क्षेत्र से केन्द्रिय सरकार में मन्त्री व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिहं ने कहा है कि छोटे बांध तो बने परन्तु सुरंग न बनाई जाये। यह मुश्किल लड़ाई है। परन्तु हमारे लोग बिकाउ नहीं है। सब विरोध में डटे रहेंगे। हम जिला परिषद् शिमला की और से बांध और सुरंग निर्माण के विरोध में प्रस्ताव हिमाचल व केन्द्रिय सरकार को भेजेंगे। कुल्लू और मंडी की जिला परिषदें भी ऐसे प्रस्ताव भेजेगीं। हमारे क्षेत्रों में बहुत थोडे लोगों को जमीन का मुआबजा मिलेगा। परन्तु पैसा चाहे करोडों मिल जाये वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हम ने दाडलाघाट वालों को देखा है। न पैसा पास रहा न जमीन रही। पैसों के लालच में लोग जमीनें बेचते हैं। इस से हर परिवार के पास जमीन कम हो रही है। बिना जमीन के न तो खेती बाडी हो सकती और न ही बागवानी । इस लिए हमें जमीनें नहीं बेचनी हैं।

नाटक प्रस्तुती

नांज–मंडी क्षेत्र के युवाओं के सांस्कुतिक दल ने धरती के महत्व के सम्बन्ध में एक गीत और पीपल का पेड लघुनाटक प्रस्तुत किया। जिसमें यह दर्शाया वयार व पानी न रहने पर वन्य प्राणियों का जीवन कैसे खतरे में पड़ जायेगा। कम्पनी के दलाल नदी के पानी को कम्पनी के हवाले करने के लिए सक्रिय है। हम केसे बचें ?

विमल भाई

दिल्ली से आए विमल भाई ने अपनी बात नारा के के साथ आरम्भ की। 'विकास चाहिए विनाश नहीं'–'बहती नदी चाहिए सुखी नहीं'। इन्होंने बताया कि किन्नौर के लोगों के आन्दोलन में वह खाव–शाशों और पूह आए थे। संघर्षों में बहने आगे रहती है। यह बहुत अच्छी बात है। संघर्ष तो उत्सव है। उतराखण्ड में भी जलविद्युत परियोजनाओं के विरूद्ध लोग संघर्षरत है। क्योंकि परियोजनाओं के परिणामस्वरू भूमि कटाव और भूक्षरण बढ़ रहा है। विस्थापन हो रहा है। पीने के पानी का अभाव हो रहा है। खेती–बाडी, पशुपालन सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए संघर्ष अधिक जुझारू ढंग से चलाये जा

जानें चाहिए। विमल जी ने मई में रूपिन–सुचिन नदी में 6–7 मैगावाट के बनने वाले प्रोजेक्ट के विरोध के बारे में बताया। कम्पनी का दस्तावेज अंग्रेजी में था। लोगों ने मांग की कि हिन्दी में सामग्री दी जाये ताकि उनको ठीक जानकारी मिल सके। काम शुरू करवाने की स्वीकृति के लिए अनापति प्रमाण पत्र की भी प्रवाह भी नहीं की गई। लोगों ने संघर्ष समिति गठित की है। जन–सुनवाई का विरोध किया और नहीं होने दी। उतराखण्ड में परियोजना के विरूद्ध संघर्ष के तरीकों के बारे में भी बताया। कमेटी ने बांध का काम रोकने के लिए पैठानी गांव में दीवार चिनादी। गांवों के सभी लोगों को बता दिया कि कोई कम्पनी वालों को मकान किराये पर न दें। एक बांध घने जंगल में बनाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप वहां के वन्य पशुओं का मारा जाना और खेती के क्षेत्रों को भागना एक बहुत गम्भीर समस्या हो गई है। परियोजनाओं के निमार्ण से लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। बिजली उत्पादन का 12 प्रतिशत भाग लोगों को मिलना चाहिए था परन्तु वह सरकार ले रही है। नदी निरन्तर बहती, कल–कल शब्द करती है अतः नदी की आवाज बन्द नहीं होनी चाहिए। लडाई हमेशा जीत के लिए लड़नी होती है हार के लिए नहीं, बांध नहीं बनाने देना, यह जीत की लडाई है। बांध बनाने दिया तो हार की लड़ाई होगी। महिलाएं हर कार्यक्रम में आगे रहती है। मर्दों में शराब की आदत बहुत बुरी है। आंदोलनों के दौर में शराबी कम्पनी के हाथ बिक भी सकता है। अतः शराब का भी विरोध किया जाना चाहिए। कम्पनी और सरकार के गठजोड के विरूद्ध असयोग आन्दोलन चलाना चाहिए। ऐसा माहौल बनाए कि कंम्पनी वाले गांवों में न आ सके। बांध परियोजना बिजली सब कम्पनियां या सरकार का हो जाता है मगर लोगों का कुछ नहीं रहता। टिहरी के एक लाख लोग आज बांध पर नहीं आ सकते। बांध में पानी भरा पडा है परंतु महिलाएं मटके लेकर दूर से पानी लाती है। बिजली देश के धनवानों की कमाई और सुविधा के लिए है। गरीबों को तो जलाने (प्रकाश) के लिए नहीं मिलती।

दयाल सिंह वर्मा

स्थानीय पंचायत के उप–प्रधान ने कहा हम सदियों से सतलुज का पानी पीते आ रहे है। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने पानी को बचाने के लिए लड़ेंगे। नदी के बहते पानी के कारण ही हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। कम्पनी हमें खरीद नहीं सकती। मेरा निवेदन है कि हम शराब आदि नशों से दूर रहे। यहां पधारे सभी लोगों का बहुत–बहुत स्वागत।

अनिता

ग्राम पंचायत बार्ड सदस्य अनिता जी ने सब का स्वागत करते हुए कहा कि हम सजलुज के पानी से कपडे धोते है। इस का पानी पीते हैं। हमारे पशु भी इसका पानी पीते है। गांवो में लिफ्ट द्धार पानी पहुंच सकता है। पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी परंतु सजलुज रहे तो तब न। कम्पनी पानी लूटने आई है। हम पानी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं ।

अगर आज हम नदी बचाने के लिए नहीं जड़े तो भविष्य में हमारी चिन्ता कोई नहीं करेगा। गरीबों को कोई नहीं पूछेगा। प्रोजेक्ट वाले बड़ों के पास आये होंगे । गरीबों के पास नहीं। जमीन नहीं देनी चाहिए जो पुश्त दर पुश्त पास रहती है। धन–लक्ष्मी चंचल होती है। एक जगह नहीं टिकती। मेरा निवेदन है कि एकता बनाये रखे। बांध और सुरग बनेगी तो सभी प्रभावित होंगे। परियोजनाओं के निर्माण के साथ इसमें काम करने वाले लोग, आस पास गांवों व नगरों में लोग कई तरह के रोगों के शिकार हो जाते है।

गुमान सिह ने बताया कि रामपुर में ऐसे मच्छर पैदा हो गए हैं जो किसी को काटते है तो उसे जोर का बुखार को जाता है। स्थानिय तौर पर इस का उपचार नहीं है। अतः रोगियों को शिमला और चंडिगढ ले जाना पड़ता है। यह मच्छर रेत का माना जा रहा है। दो तीन सालों में 4,000 से अधिक लोग अनाम बुखार के शिकार हो गया। ऐसा भयानक बुखार रामपूर परियोजना निर्माण की देन है। इसके अलावा कई अन्य परियोजना स्थलों और सीमेंट के या अन्य निर्माण कार्यो के क्षेत्रों के आस–पास सांस, हृदय व चर्म रोग और सिलीकोसिल जैसे जानलेवा रोग हो रहे है। परंतु सरकार व कम्पनियां इन रोगों को परियोजनाओं व कारखानों के बनने के कारण नहीं मानती।

नंद लाल शर्मा

बिलासपुर जिला से भाखडा बांध के विस्थापितों के संगठन के नेता श्री नंदलाल शर्मा जनसभा ने बताया कि भाखडा बांध से उत्पन की जा रही बिजली 60 से अधिक बर्षो से देश के विकास और औद्योगिकरण व कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जा रही है। सतलुज के विपुल जल से पंजाब व राजस्थान में बडे पैमाने पर सिंचाई के लिए नहरें छल–छला रही है। परंतु बिलासपुर के सतलुज के आर–पार व मंडी के क्षेत्र के लोग आज तक गोबिन्द सागर से पानी नहीं ले सकते जब कि हमने जमीने, जंगल, जल–स्रोत घर–बार भाखड़ा बांध से खोए हैं और आज तक विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। आज तक हमें न तो ठीक मुआवजा मिला न पुनर्वास हुआ। कुछ लोगों को हिसार में जमीनें दीगई परंतु सरकार ने वहां बसाने में मदद नहीं की। बिलासपुर नगर भी आज तक विस्थापितों का नगर है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमन्त्री ने बांध निर्माण से पहले लोगों से बडी भावुकता भरी देश भक्ति के उपदेश के साथ अपील की थी कि आप लोग देश के निर्माण और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन शुरू करवाने में मदद करें। सरकार बहुत बडा बांध बना रही है। आप को जमीन और घर बार छोडना पड़ेगा। परंतु देश की खुशहाली और तरक्की के लिए आप का यह त्याग हमेशा याद रहेगा और लोगों ने त्याग किया। देश की समृद्धि हुई परन्तु हमारी तबाही हुई। अब तो हमारे प्रदेश की सब नदियों पर जल विद्युत योजनाएं बनाई जा रही हैं। जिस के कारण आज तक लाखों लोगों का विस्थापन हुआ व हो रहा है। हजारों मैगावाट बिजली पैदा की जा रही और बेची जा रही है। सरकार और उद्योगपतियों के पास खूब धन आ रहा है परंतु हमारे लोगों को इससे कुछ नहीं मिल रहा है। बांधों, व सुरगों के बनाने से हमारी जमीनें, चरागाहें, जंगल, जलस्रोत सब बर्बाद हो रहे हैं। तापमान बढ रहा है। सारे देश की 4–5 करोड़ जनता बाधों के कारण विस्थापित हो चुकी है। विस्थापित न होने, जीवन और जीने की स्थितियां बचाए रखने के लिए देश भर में मिल कर जन संघर्षों का चलाना जरूरी हो गया है। हिमालय नीति अभियान द्वारा सारे प्रदेश में चल रहे जन आंदोलनों के बीच तालमेल स्थापित करने का जो काम किया जा रहा हैं वह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। इस से हर आंदोलन के लोगों में आत्म विश्वास बढ़ा है। संघर्ष की शक्ति बडी है। लुहरी परियोजना में विरोध के लिए आपके संघर्ष का हम भरपूर समर्थन करते हैं। अब हम बहूत से लोग और संगठन साथ है।

पूर्ण चंद

श्री पूर्णचंद रेणुका बांध जन संघर्ष समिति ने बताया कि रेणुका बांध का निर्माण दिल्ली को पानी पहुचानें के लिए किया जा रहा है। बांध में 1630 हैक्टेयर जमीन डूबेगी 15 लाख पंड कटेंगे। 12 हजार बीघा वन भूमि जल मग्न होगी। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम ने वन विभाग से 151439 पेड काटने की क्लीयरेंस ली है। जन सुनवाई की बैठक हुई थी। लोगों से हस्ताक्षर खने के नाम पर करवाए गए। उस समय हमें इसका विरोध किए जाने का पता नहीं था। इस परियोजना से चालिस मैगावाट बिजली पैदा होगी। हम इस के विरुद्ध पिछले चार सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक इसी लिए बांध का काम शुरु नहीं हो सका है। भूमि अधिग्रहन जबरनी धारा 17(4) लगा कर किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में खनन भी एक बडी समस्या हो गई है। इसके कारण यहां का पर्यावरण खराब हो रहा है तथा जंगली जानवर गांव की ओर आ रहे है जिस कारण हमारी खेती तवाह हो गई है। लुहरी परियोजना के विरूद्ध आपके संघर्ष का हम स्वागत करते हैं और आप के साथ हैं।

खनन की चर्चा आने पर श्री गुमान सिंह ने बताया कि अब खनन सम्बन्धी कानून बनाया जा रहा है। उसके तहत खनन से प्रभावित लोग को खनन कम्पनी में 26 प्रतिशत हिसा प्राप्त होगा। भूमि अधिग्रहन कानून की धारा 17(4) के बारे में बताया कि यह सरकार की गैर कानूनी कार्यवाही है तथा इस के विरुद्ध कई हाई कोर्टो के फैसले आ चुके हैं।

जगजीत सिहं दुखिया

श्री जगत सिहं दुखिया नालागढ क्षेत्र में जे0पी0 कम्पनी द्वारा ताप बिजलीघर बनाने के विरूद्ध संघर्ष के नेता हैं। हिम प्रवेश नाम के संगठन से सम्बन्ध हैं। उन्होने बताया कि पर्यावरण दिवस या इसी तरह के कई दिवस मनाये जाते है। पर हमने कसम खाई है कि किसी भी जोर जबर के खिलाफ संघर्ष करेगे। हम यहां संघर्षों के अनुभव को बांट रहें है। सकारात्मक परिणामों वाले भी, नकारात्मक परिणामों वाले भी। जे0पी0 हिमाचल का मालिक बन गया है। साम–दाम एवं दण्ड–भेद सब कुछ करके अपने काम करवाता है। नेताओं और अफसरों को हमेशा अपने वस में रखता है। नालागढ में थर्मल पावर प्लांट लगवाने लगा था। इस के लगने से क्षेत्र में ताप बढ़ेने, धुआं–धूल, वायु प्रदूषण बढ़ना तय था। हमने जन जागरण अभियान चला कर ताप बिजली घर के बनाने खिलाफ जोरदार आंदोलन छेडा। अफसरों और कम्पनी वालों दोनों को भगा दिया।

दोबारा उनकी हिम्मत काम शुरू करवाने की नहीं हुई। अब यह प्रस्तावित प्रोजैक्ट बद हो गया है। अवैध खनन और जंगल काटे जाने के विरूद्ध भी संघर्ष चल रहा है। कम्पनी वाले हमारे लोगों को तोडने में लगे हैं। यहां के आंदोलन में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपके पास विरोध करने के लिए 38 किलोमिटर लम्बी सुरंग बनबाने की बात खास है। आर–पार के पूरे इलाकों में सेब, फसलें, घास, पेड, जलस्रोत सूखेगे। हम आप के साथ हैं, हमें यकीन है आप का संघर्ष कामयाब होगा।

लाल चंद कटोच

श्री लाल चंद कटोच जल, जगंल, जमीन बचाओं संघर्ष समिति कुल्लू के संयोजक है तथा जन–जागरन समिति के प्रधान हैं। आम सभा को सम्बोधित करते हुए इन्होंने एक तो मनाली क्षेत्र में स्की विलेज निर्माण के विरूद्ध संघर्ष के बारे में बताया। 35 हजार करोड रूपये से 500 बीघे रक्बे में एक अमेरिकी कम्पनी स्की बिलेज बनाना चाहती थी। उसके खिलाफ दो बर्षों से अधिक समय तक संघर्ष चला और जन–सुनवाई के दिन महिलाओं ने कम्पनी वालों को मार–मार कर भगा दिया। मामला उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। इस प्रकार निर्माण रूक गया।

कुल्लू में ही हरिपुर नाले पर बनाई जा रही लघु परियोजना के विरूद्ध भी संघर्ष चल रहा है। इस नाले से 3 पंचायतों के 15 गांवों को पीने का पानी मिलता है। संघर्ष में भागीदार 38 लोगों पर पुलिस ने मुकद्दमें बनाए है परंतु संघर्ष चल रहा है। इन आंदोलनों के आधार और प्रचार को बढाने के लिए हिमालय नीति अभियान द्वारा मनाली व कुल्लू में स्थानीय व अन्य क्षेत्रों के जन संगठनों से मिल कर सभाएं करवाने का बडा अच्छा काम किया। यहां पर आप के आंदोलन का हम सब संगठन भरपूर समर्थन करते है।

नेक राम

श्री नेक राम ने सतलुज बचाओं संघर्ष समिति द्वारा लोक पर्यावरण दिवस को लोक द्वारा विरोध प्रदर्शन दिवस के रूप में मनाने के लिए मंडी, कुल्लू और शिमला क्षेत्र के लोगों को इकठठा करने के प्रयत्नों के बारे में बताया। निरथ और परोलोग से जन सुनवाई का नाटक करने आए अधिकारियां और कम्पनी वालों को भागने को विवश कर देने के प्रसगं सुनाए। संघर्ष को जरी रखने के लिए पंचायत स्तर पर संघर्ष समितियां बनाने के फैसले के बारे में कहा। जल,जंगल ,जमीन,वायु प्रदूषण और नदी सुख जाने पर ताप बहुत बढ जाने की भी बात की। प्रदेश व बाहर से आम सभा में आए साथियों का अभिनन्दन किया व कहा कि हम तीनों जिलों के लोग बांध और सुरंगे नहीं बनने देंगे।

सतलुज बचाओं जन संघर्ष समिति के साथियों का विशेषरूप से सक्रियता से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिन साथियों ने थोडे से समय में व्यापक प्रचार किया, पोस्टर–पेंफलेट आदि घर–घर पहुंचाए और लोगों को बांध और सुरंगें बनाये जाने से होने वाली हानियां से परिचित करवाया, तथा प्रदेश व बाहर से आए जन सगंठनों के नेताओं का अभिनन्दन किया। सफल आम सभा क`लिए सब को बधाई दी व संघर्ष सफलता तक जारी रखने की बात की।

कुलभूषण उपमन्यु

श्री कुलभूषण उपमन्यु ने समापन भाषण में कहा 1981 में कश्मीर से कोहिमा की पद–यात्रा के दौरान लुहरी से गुजरा था। उसके बाद आज यहां आया हुॅ। यहां बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सभी वक्ताओं ने आंदोलनों और चल रहे संघर्षो के बारे में बताए व यहां के सतलुज बचाओं जन सघंष समिर्ति के साथियों का उत्साह बढाया।

आज विकास के नाम पर जो हो रहा है यह भ्रामक बात है। प्रकृति से ही इन्सान के बनने की प्रकिया शुरू हुई तभी से विकास यात्रा आरम्भ हो गई। औद्योगिक क्रान्ति के साथ इन संसाधनों के अधिकाधिक दोहन पर आधारित विकास का क्रम आगे बढ़ा और आज तो अंधी दौड़ लगी है।

जीवन के लिए चार आधार हैं। जल,जंगल,जमीन, हवा। इनसे पानी, हवा, भोजन और अन्य आवास आदि के साधन प्राप्त होते हैं। नये विकास से जंगल नष्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है। तापमान अधिक हो रहा है। अमीर होने के लालच की बलि सब कुछ चढ़ रहा है। सरकार और कम्पनियां मिलकर नदी की हत्या कर रहीं हैं। यह सब सभ्यता विरोधी है। धरती पर तीन सभ्यताएं पंनपी हैं। रेगिस्तानी, नदी किनारे, व वन क्षेत्रे में। ये सामुहिक सह–अस्तित्व वाली सभ्यताएं रही। संसाधनों और जनों के दोहन व शोषण पर विकास मान सभ्यता महाजनी सभ्यता है। लूट की सभ्यता है। विकास के प्रचलित तकनिकी आधारित मॉडल के आलावा भी विकल्प है। सादगी की सभ्यता। नई बात कहने का हमेशा विरोध हुआ है। सुकरात ने नई बात कही थी। उसे जहर दे दिया । गैलिलीयो ने नई बात कही भी मार दिया गया। परंतु परिवर्तन के लिए नई बात कहना जरूरी है। धारा विरूद्ध चलने से परिवर्तन होता है। इससे उपहार, उपेक्षा, अपमान और अलगाव प्राप्त होते है। इन चार स्थितियों को जो जी लेता है वह समाज बदलता है।

हम सब का प्रयत्न सामूहिक सह–अस्तित्व वाली सभ्यता के निर्माण का हो हम सब का इसलिए संघर्ष जारी रखें।

मैं आप के लुहरी परियोजन के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में आप की कामयावी की कामना करता हूॅ। प्रकृति व मानव सभ्यता की रक्षा आम जन ही कर सकते हैं। हिमालय का अस्तित्व विकास के इस लालच के लिए अंधाधुन्द दोहन के मॉडल के चलते खतरे में है। बड़ी पन विद्युत परियोजनाएं एक गंभीर खतरा है। इसे रोकना होगा। इस के लिए हमें आन्दोलनों की भविष्य **की रणनीति और सटीक बनानी होगी। आज प्रदेश में कई जगह जनता** पन विद्युत परियोजनाओं, सिमेंट कारखानों, खनन, बड़े निर्माण व विस्थापन के विरूद्ध तथा पर्यावरण व जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष**रत है।**

भविष्य की रणनीति

1. पन विद्युत परियोजनाओं के विरूद्ध चल रहे सभी आन्दोलनों की समिक्षा के लिए जल्दी सितम्बर–अक्टूबर तक एक प्रदेश स्तर का संम्मेलन आयोजित करना होगा।

2. पन विद्युत परियोजनाओं के विरूद्ध चल रहे संघर्षों **के प्रमुख कार्यकताओं के लिए चार दिन का प्रशिक्षण शिवर का** आयोजन अक्टूबर 2011 में किया जाए गा।

3. **वनाधिकार कानून को प्रदेश में लागु करने के लिए अभियान तेज किया जाएगा। नवम्बर में इस बारे प्रदेश व्यापि अभियान में हिमालय नीति अभियान की राज्य कमेटी पूरे प्रदेश का भ्रमन करगी तथा जिला व सबडिवीजन सतर पर जलसों का आयोजन किया जाएगा।**

4. **उर्जा के उपयोग, वैकल्पिक स्रोतों व पन बिजली उत्पादन के नये तकनीकी विकल्पों पर एक पुस्तिका का प्रकाशन नवम्बर तक किया जाएगा।**

5. **देशभर व खासकर हिमालय क्षेत्रों में चल रहे** पन विद्युत परियोजनाओं, विस्थापन व प्राकृतिक सांझा संम्पतियों की लूट के विरूद्ध चल रहे जन आंदोलनों के साथ संपर्कों को मजबूत किया जाएगा।

मैं भविष्य **की रणनीति का यह प्रस्ताव पेश करता हूॅ।**

सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने हाथ खड़ा कर के इसे पारित किया।

घोषणा पत्र व प्रस्ताव –गुमान सिंह

गुमान सिंह ने आज पारित किये जाने वाले घोषणा पत्र व प्रस्तावों को पेश किया जिस सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव की प्रति अनूसूचि–1 में संलग्न है।

धन्यवाद प्रस्ताव–अतुल शर्मा

अतुल शर्मा ने आज के आयोजन के लिए सतलुज बचाओ अभियान, लुहरी जल–विद्युत परियोजना जन संघर्ष समिति मंडी–शिमला–कुल्लु के कार्यकताओं, स्थानीय लोगों, पंचायत प्रतिनिधियों, जिला परिषद अध्यक्ष, प्रदेश व प्रदेश से बाहर से आए सभी साथियों का भागिदारी व सहयोग के लिए धन्यावाद किया। सभी प्रतिभागियों ने तालियां बजाकर आज के आयोजन का समापन हुआ।

धन्यावाद

मंच संचालन

गुमान सिंह
संयोजक–हिमालय नीति अभियान

वक्ता–

सतलुज बचाओ अभियान, लुहरी जल–विद्युत परियोजना जन संघर्ष समिति मंडी–शिमला–कुल्लु –यशपाल, अतुल शर्मा, श्याम सिंह, नेक राम, प्रताप चौहान, दयाल वर्मा, हिमालय नीति अभियान हिमाचल प्रदेश–अध्यक्ष–कुलभुषण उपमन्यु, अनुरुद्ध सिंह–अध्यक्ष जिला परिषद् शिमला, हिम लोक जागृति मंच किनौर–अध्यक्ष– आर.एस. नेगी, भगत सिंह किन्नर, भाखडा विस्थापित सुधार समिति बिलासपुर– अध्यक्ष–नन्द लाल शर्मा, हिम प्रवेश नालागढ– अध्यक्ष– जे.एस. दुखिया, जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति हरिपुर कुल्लु– अध्यक्ष–लाल चन्द कटोच, रैणुका डैम जन संघर्ष समिति सिरमौर–पुरण चन्द, साल घाटी बचाओ संघर्ष मोर्चा चम्बा, हिमालय बचाओ समिति चम्बा, देओ बडेओगी संयुक्त संघर्ष एवं पर्यावरण संरक्षण समिति करसोग, माटु जन संगठन–बिमल भाई, पी.ए.पी.एन अन्धेरी–कुलदीप वर्मा, आर.टी.डी.सी.–सुख देव, ऐम.ऐम.पी.– अध्यक्ष–अजीत राठौर, ऐनवायरनिकस ट्रस्ट–रवि मितल, उपेद्र मिश्रा, मंजुला, शीला, शारदा भारती, प्रकाश भण्डारी, रुप लाल शर्मा, कृशनकान्त, विमला विश्व प्रमी।

Annexure -1

People's Environment Day Celebration

Declaration

5th June, 2011 at Khegasu –Luhari

Theme of the Day

Hydro Electric Projects- Environment Degradation and Loss of Livelihoods in Himachal Pradesh.

People environment day was celebrated at Marketing committee Yard-Khekhasu, Luhari district Kullu HP on 5th June 2011 which was attended by more than 1500 people from all over the State and out side.

Resolutions Passed:

1. Need for Sustainable Mode of Development for Himalaya: On the eve of world environment day we the people of Himalaya are compelled to celebrate the day as a protest against the so called development initiative imposed by the State under the neo liberal policy regime. The model of development which is being imposed is extractive in nature and destroying the Himalaya, weakening its capacity to provide environmental services such as water, fresh air, top soil, cooling and carbon sinking to South East Asia and globe as a whole. This mega model of development is destroying our forest, bio-diversity, receding glaciers, disappearing rivers and forcefully pushing back Himalayan communities (Pahari) by snatching their commons and handing over it to corporate on which our livelihood is based. Mega Dams, Hydro Electric Projects, Mining, mega infra-projects and cement industry which are fatally destructive for the existence of Himalaya are being rapidly established here.

   So it is needed for the very existence of civilisation that no such projects and industries should be established in Himalaya which may destabilise this new mountain formation. Himalaya needs a new mode of development which shall be in accordance to its geological, geographical, climatic and bio-diverse ecological situations.

2. Climate change and disasters: We are facing disasters, pollution, climate change and fast local weather change, shifting of flora and fauna species, cloud burst, landslide, soil erosion, drought

and very fast rise of temperature. Glaciers are receding rapidly in the catchments. Habitats particularly in Kinnaur traditional villages are not settled on the river banks but at upper reaches of mountains because of steep gradient are facing heavy landslides and soil erosion. Drying up the river basin due to tunneling and impoundment imposed has disastrous environmental consequences and ill effect on bio-diversity, water springs, ground water, aquatic life and aqua fare. Some of the mountain slopes are sliding due to heavy blasting during the construction of tunnel and roads. Recently two of the villages- Nathapa and Kandar has completely slide and being resettled somewhere else because of tunneling beneath the villages for Nathpa Jhakhari Hydro Electric project. Water springs dried up at many places due to the same reason. Huge deforestation and degradation of grass land has taken place already. Endangered species of Chilgoja, Devdar trees and many other high altitude flora and fauna are being destroyed which are local livelihoods base for farming and grassier community. Forest, Agriculture and apple orchards are under threat because of temperature rise, landslides, loss of ground water, soil erosion, muck disposal and dust.

3. Displacement, Land Grab and Loss of Livelihoods: Agriculture and forest land and common property resources are being snatched from Local people for various uses of commercial, infrastructural and other development projects by violating laws. Farmers are facing displacement and no proper Rehabilitation and resettlement has been carried out anywhere so far. Local communities are losing livelihoods base, whereas these projects failed to provide employment to local people. State government policy to employ 70% Himachali's in projects has not been followed. There is not a single example of any such mega project which have rehabilitated and resettled affected communities properly in Himachal. Bhakhra and Pong Dam displaced of sixties and seventies are still waiting for justice and are struggling in courts and streets.

   So it is needed that development projects should not displace any one and pending displacement issues be settled soon. Commons shall not be handed over to developers without community consent and proper compensation shall be paid to the users of these resources.

4. **Land acquisition: Land Acquisition Act is being misused to grab land and forcefully acquisition is taking by using urgency clause in all projects. Acquisition is taking place before seeking all clearance for the projects. Many court orders have been passed recently in this regard but no cognisance is being taken. So no acquisition should be taken place under the urgency provision of LAA and no proceedings of acquiring land shall be started before environment and other required clearances for the project. LAA and R&R bills are pending in parliament to be passed hence no acquisition shall take place before new enactment and all acquisition proceedings in Luhari HEP, Renuka Dam and any other site be stalled till date.**
5. Impact on human health: People are facing new diseases such as tuberculoses, heart disease, respiratory disorders and silicosis due to dust. New disease which has not been still identified by the biting of mosquito generally called sand mosquito after the construction work of Rampur

HEP. Local treatment for this is not available and patients have to be treated at Shimla and Chandigarh. More than 2000 people have fallen ill due to this disease within two three years. We demand immediate enquiry and health survey be carried out at Rampur to check this new disease. State government is hiding this fact by serving an affidavit in NHRC proclaiming that there is no patient of silicosis in Himachal. It is a false affidavit and government shall honestly identify silicosis infected patients throughout state particularly near Mega constructions, mining and cements plants. High voltage transmission lines are also causing ill affect on the health of human, animals and plants.

6. Forest Rights Act has not been implemented in the state so far. So no forest land can be diverted to any project proponent before the recognition of forest rights of traditional forest dwellers/right holders under FRA. All rights have to be settled before project implementation, as directed by MoEF vide its circular dated 30-7-2009. Himachal government shall complete the process of recognition of forest rights under the FRA first. All forest clearances given to projects after January 2008 shall be canceled.

7. Violation of Law and environmental norms: The regulation and provisions of PESA have been completely violated in setting up of these HEP projects in Kinnaur which comes under is a Schedule V area (Tribal). Developers are violating tribal, environmental, forest, HP Lease rules, mining rules and revenue Laws grossly in connivance of government agencies. Agriculture and forest land has been transferred to developers in tribal areas violating the provision of HP Lease rules, tribal laws, forest right act and HP revenue laws. Developers are constructing tunnels illegally, dumping excavated material and debris anywhere at un-designated dumping site inside the high flood zone of rivers which may cause future danger to downstream in future. Extracting river bed material by violating above mentioned laws is taking place everywhere in Himachal Pradesh.

8. Micro Hydro Projects: On the name of small/micro HEPs developers are getting subsidies more than 40% of total construction cost. Earlier below 5 MW generating projects were categorised as Micro Hydro projects. But in new policy the projects generating below 25 MW are considered under this category. This is another scandal of hushing up subsidy and escaping from environment clearance. Micro hydro projects are snatching the water of small streams on which local farmers water dependence is very high due to this reason people are opposing these at many places in HP. Dharna by local farmers which still continue since last 60 days against Hul-1 micro HEP in Chamba and strong opposition against Haripur Nalla at Kullu has witnessed recently.

   Micro hydro project be re-categorised and the projects below 500 KW generations shall be declared in this category. Hydro power policy needs to be amended and all hydro projects generating more than 500 KW should be deleted from the list of Micro hydro projects. The benefits under the provision of micro hydro project such as exemption from EIA, public hearing

and environment clearances form MoEF be cancelled to these projects. Subsidy on the name of green energy shall be paid only to the projects having generation capacity below the 500 KW.

9. Luhari HEP**: Luhari Hydro Project 775MW funded by World Bank is in initial process of clearances which is being constructed by Satluj Jal Vidyut Nigam. This HEP with twin head race tunnels each of 38.138 Kmts length beneath many villages in right bank of kullu and Mandi districts will dry up water springs and cause permanent landslides in the up hills. 40 Kmts Satluj basin from Nirth to Marola will be dry. The dam of 86 mtrs Height with 6.8 Kmts long impoundment will adversely affect the main apple growing area between Jalori to Narkanda. Temperature of valley may rise up to 3 degree centigrade, dust, and muck disposal will cause many problems affecting flora and fauna. Displacement and loss of forest and grass land will affect human population adversely. People of area are strongly opposing this project due to above mentioned reasons and did not allow SJVN to conduct public hearing on 7th May 2011 at Parlog. People are against this and will not allow SJVN to start this project in present design. So this HEP shall be cancelled immediately.**

10. Himachal government has decided to prepare environment master plan for Satluj River before 31 july 2011. This master plan shall be prepared with proper public consultation. State Government started another drama for environment protection and is getting support (Carbon credit) from World Bank and IFIs (ADB) which are main investors in these HE projects. We reject this false solution of carbon credit and oppose IFIs investment in power sector.

11. There is need for alternate Hydro power generation technologies and hydro power policy frame work which shall ensure first right of host community over river water, no displacement, no damage to forest, ecology and mountain strata. 26% Equity in HEP generation shall be given to the host community/ affected population on the line of the provisions proposed in MMDR draft bill by Mining ministry.

12. Indian Parliament shall enact a law like American Law 'Wild & Scenic River Act' (*It is hereby declared to be the policy of the United States that certain selected rivers of the Nation which, with their immediate environments, possess outstandingly remarkable scenic, recreational, geologic, fish and wildlife, historic, cultural or other similar values, shall be preserved in free-flowing condition, and that they and their immediate environments shall be protected for the benefit and enjoyment of present and future generations. The Congress declares that the established national policy of dams and other construction at appropriate sections of the rivers of the United States needs to be complemented by a policy that would preserve other selected rivers or sections thereof in their free-flowing condition to protect the water quality of such rivers and to fulfill other vital national conservation purposes. (Wild & Scenic Rivers Act, October 2, 1968)* so that sensitive rivers can be protected for future. Particularly in highly sensitive and fragile ecological region of Greater and trance Himalaya river flow shall be managed on the line.

13. Himalaya is a new mountain formation and is very fragile in its nature. Himachal Pradesh lies in seismological zone 4 and five. So the state should be declared as eco sensitive zone.

Corporate, government officials and political leaders, contractors have formed a nexus to loot Himalayan natural resources and are engaged to sell the commons particularly agriculture land, forest land, rivers and minerals and are solely responsible for this crisis of environment degradation in the state. Himachal Pradesh is producing more than 6370 MW hydro electric power and will generate 5744 MW more within two years form projects under construction. States has identified the potential of power production more than 20463 MW in all five river basin, whereas our local consumption is not more than 1500MW for next five years. It is a power business which is taking place here. Local communities are losing their livelihoods, living environment, land and commons. So local communities are opposing projects everywhere right from Kinaur to Chamba to Renuka. Some of the projects have been stalled under the pressure of people's movements. So on this day of environment we are opposing this model of development and power projects.

ON this People's Environment day we declare:

1. No new HEP in all five river basin and moratorium shall be declared on installation of HEP in Himachal Pradesh now.
2. Present mega design of Luhari HEP project is not acceptable. Hence this project shall be cancelled.

Annexure -2

Hydro Power status in HP

in MW

Projects under Operation (i/c Himurja Projects)	6370.12
Projects which are under execution/allotted and planned for 11 th Plan Period	5744.10
Projects which have been allotted/under process of allotment and expected to yield benefit during the 12th Plan period	5615.50
Projects which would have to be re advertised	1481.00
Projects which have been abandoned due to environmental considerations	435.00
Projects under investigation for preparation of DPR	46.50
Himurja Projects proposed/under execution){750-26.60} [Under Operation - 26.60 MW]	723.40
TOTAL POTENTIAL	**20415.00**

HYDRO ELECTRIC PROJECTS UNDER OPERATION

S.N.	Name of Project	Name of Basin	Installed capacity(MW)
A.	**STATE SECTOR:**		
1	Andhra	Yamuna	16.95
2	Giri	Yamuna	60.00
3.	Gumma	Yamuna	3.00
4.	Rukti	Satluj	1.50

5.	Chaba	Satluj	1.75
6.	Rongtong	Satluj	2.00
7.	Nogli	Satluj	2.50
8.	Bhaba	Satluj	120.00
9.	Ganvi	Satluj	22.50
10.	Binwa	Beas	6.00
11.	Gaj	Beas	10.50
12.	Baner	Beas	12.00
13.	Uhl-II (Bassi)	Beas	60.00
14.	Larji	Beas	126.00
15.	**Khauli ***	Beas	12.00
16.	Sal-II	Ravi	2.00
17.	Holi	Ravi	3.00
18	Bhuri Singh P/House	Ravi	0.45
19	Killar	Ravi	0.30
20	Thirot	Ravi	4.50
	Total		**466.95**
B.	**CENTRAL/ JOINT SECTOR:**		
1.	Yamuna Project (HPShare)	Yamuna	131.57
2.	Bhakra	Satluj	1325.00
3.	Nathpa Jhakri	Satluj	1500.00
4.	Baira Siul	Ravi	198.00
5.	Chamera-I	Ravi	540.00

6.	Chamera-II	Ravi	300.00
7.	Uhl-I (Shanan)	Beas	110.00
8.	Pong Dam	Beas	396.00
9.	B.S.L.	Beas	990.00
	Total		**5490.57**
C.	**PRIVATE SECTOR:**		
1.	Malana	Beas	86.00
2.	Baspa-II	Satluj	300.00
	Total		386.00
	Total A+B+C		**6343.52**
D	**HIMURJA PROJECTS**		
1	Dehar	Beas	5.00
2	Maujhi	Beas	4.50
3.	Raskat	Beas	0.80
4.	Baragran	Beas	3.00
5.	Aleo	Beas	3.00
6.	Marthi	Beas	5.00
7.	Titang	Satluj	0.90
8.	Lingti	Satluj	0.40
9.	Ching	Yamuna	1.00
10	Manal	Yamuna	3.00
	Total		**26.60**
	Total A+B+C+D		**6370.12**

Annexure -3

सतलुज बचाओ अभियान में आई तेजी

लुहरी जल विद्युत परियोजना का वर्तमान प्रारूप मंजूर नहीं

श्याम सिंह ने एसजेवीएनएल के अधिकारियों पर जड़े आरोप

प्रतिनिधि

आनी, 8 जून। जून को लोक पर्यावरण दिवस के बहाने सतलुज बचाओ अभियान के तहत् लुहरी में प्रदेश भर की पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं व एक्शन कमेटियों जिनमें भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति बिलासपुर,रेणुका डैम संघर्ष समिति सिरमौर,हिम लोक जागृति मंच किनौर व स्थानीय लोगों सहित 1500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उपस्थित लोगों ने 775 मेगावाट की प्रस्तावित लुहरी जल विद्युत परियोजना के वर्तमान प्रारूप को किसी भी कीमत पर मंजूर न करने का संकल्प लिया है। यह बात आज लुहरी में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए सतलुज बचाओ अभियान के संयोजक अतुल शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि 'सतलुज बचाओ अभियान' के तहत कुल्लू, शिमला, करसोग, बिलासपुर और किन्नौर में जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर 'सतलुज बचाओ जन संघर्ष समितियों' का गठन किया जाएगा और लुहरी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ लोगों को लामबंद कर आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रेस वार्ता में अतुल शर्मा के अलावा बैहना पंचायत के उपप्रधान दयाल वर्मा, सदस्य नेक राम, भाजपा शक्ति केंद्र के प्रधान बुद्धि सिंह, जिला परिषद सराहन (करसोग) के सदस्य श्याम सिंह ने एसजेवीएनएल के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गैरकानूनी तरीके से वन अधिकृत क्षेत्र में मंजूरी मिले बगैर ही ड्रिफ्ट और परियोजना के अन्य कार्यों को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। अतुल शर्मा स्पष्ट किया कि कोई भी परियोजना के खिलाफ नहीं है, बल्कि सतलुज पर छोटे-छोटे बांध बना दिए जाएं तो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि परियोजना का जो प्रारुप है, उसमें नीरथ से लेकर चाभा तक 40 किमी में सतलुज नदी विलुप्त हो जाएगी।

THE HINDU

TODAY'S PAPER » NATIONAL » NEW DELHI

SHIMLA, June 7, 2011

Moratorium on hydroelectric projects demanded

STAFF CORRESPONDENT

A number of NGOs representing social and environmental interests of the locals strongly protested against "developmental initiatives" of the State Government on the occasion of World Environment Day.

Himalayan Niti Abhiyan, a voluntary organisation spearheading the campaign in Himachal Pradesh, organised a rally on Monday to create public awareness on environmental issues and demanded a complete moratorium on hydro-electric projects and cement industry in the State. No more projects

should be sanctioned on the Sutlej and the mega design of the latest 775-MW Luhri project on the river should be changed, said the activists. The local communities should be allotted equity in all the projects under construction, they said.

The environmentalists alleged that Jai Prakash Associates have encroached upon more than 400 bighas of land in Karcham Wangtoo project thus violating the Himachal Pradesh Lease Rules, Tribal Laws, Forest Rights Act and Himachal Revenue Law. The developers are constructing tunnels illegally, dumping excavated material and debris at more than 30 non-designated sights inside the high flood zone of the Sutlej and Baspa and extracting riverbed material by violating laws, they charged.

Himachal is producing more than 6000 MW hydro-electric power and is expected to achieve 12,000 MW of power within two years. The State's power production target is more than 21,000 MW while the need is just 1,500 MW, said the activists.

Annexure -4

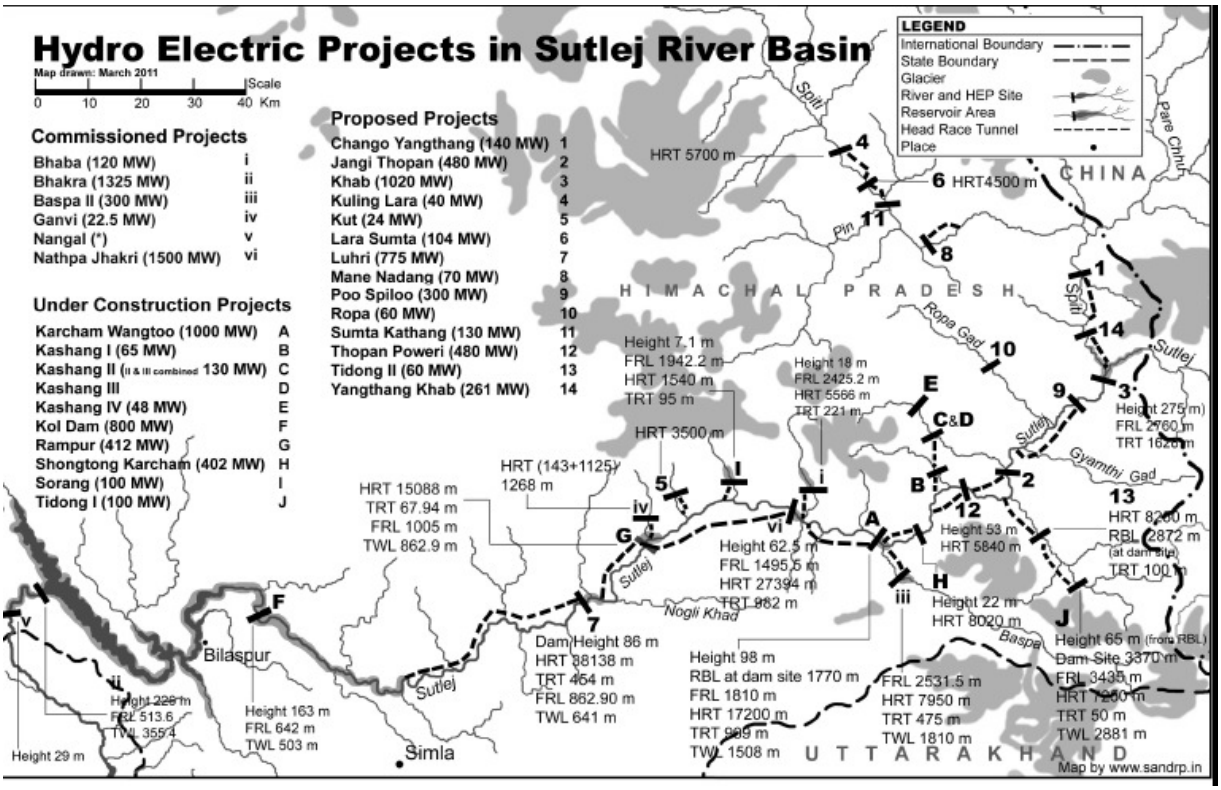

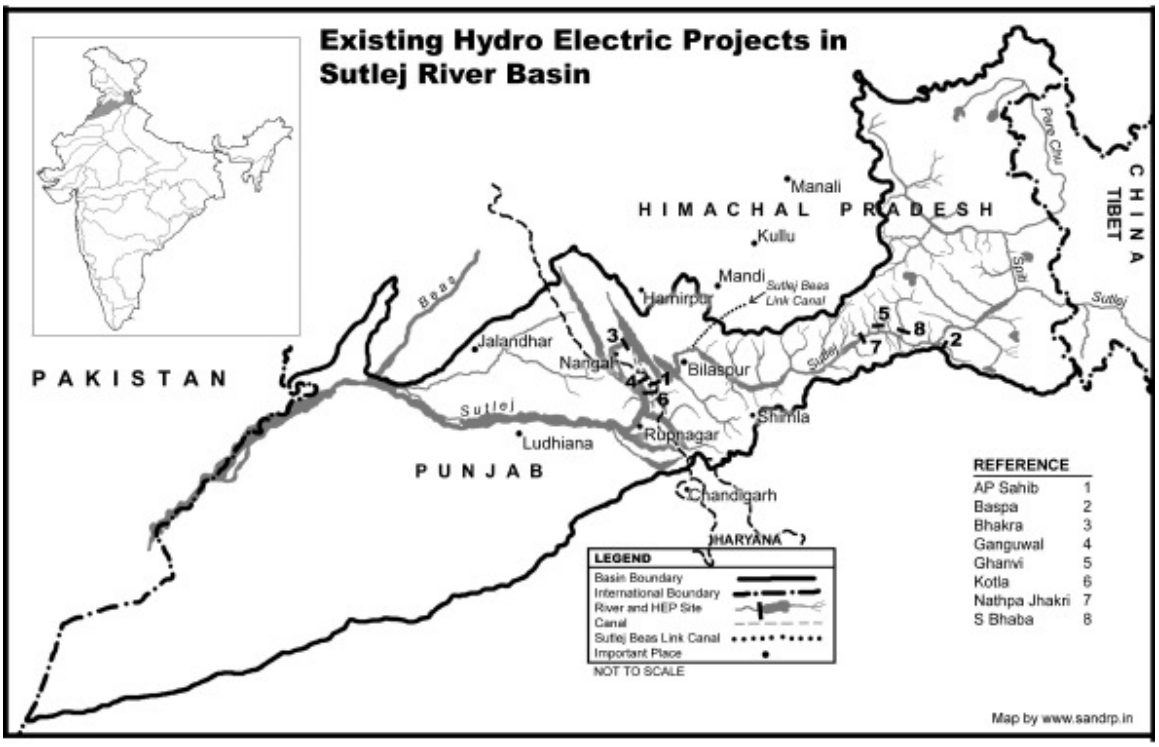

Annexure -5

पर्चा

जल, जंगल, जमीन, जीवन, पर्यावरण और आजीविका की रक्षा के लिए आगे बढ़ें!

'जरूरत' के बजाय 'विलासिता और मुनाफे' पर आधारित
प्रकृति विरोधी–मानवविरोधी परियोजनाओं का विरोध करें!

लोक पर्यावरण दिवस–पांच जून 2011
के मौके पर संघर्ष का संकल्प लें!
स्थानः खेख्सू, लुहरी –कुल्लु

साथियो,

हिमाचल प्रदेश स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस –पांच जून 2011 स्थानः खेख्सू, लुहरी–कुल्लु में आयोजित किया जा रहा है।

आज के दौर में पर्यावरण का सवाल 'मुनाफे के लिए इसका दोहन करने वालों' तथा 'मानव–प्रकृति के संतुलित रिश्तों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों', दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विकास एवं विश्व शक्ति बनने का सपना दिखाकर प्राकृतिक संसाधनों– पानी, वन, पहाड़, खनिजों तथा भूमि का अंधाधुंध दोहन करने की आम स्वीकृति की कोशिशों के पीछे एक सुनिश्चित राजनैतिक अर्थशास्त्र कार्यरत है। इस प्रक्रिया की तीव्र गति से लाभान्वित होने वाली ताकतों के हित में यह न केवल कार्यरत है बल्कि उन्हीं के द्वारा स्थापित, संचालित तथा नियंत्रित भी है। वैश्विक स्तर पर 'ग्लोबल वार्मिंग', 'पर्यावरण विनाश', 'ग्रीन हाउस गैसों' पर खूब हायतोबा मचायी जाती है तथा इसके नियंत्रण पर गंभीर (?) बहस, मंत्रणायें तथा वैश्विक घोषणायें भी की जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अपनी थैलियाँ भी खोल देते हैं। परंतु जब इन 'सद्इच्छाओं' को व्यवहार में उतारने की बात आती है तो सभी अपना पल्लू झाड़ लेते हैं। अपनी विलासितापूर्ण, उपभोक्तावादी जीवन शैली को समकालीन दौर की जरूरत तथा बाध्यता बताते हुए शासक वर्ग पर्यावरण रक्षा से किनारा कर लेते हैं।

आज हमें यह समझने की जरूरत है कि वे कौन से कारण हैं जिन्होंने 'मनुष्य–प्रकृति' के रिश्ते को असंतुलित करके पूरी मानवता को आत्मघाती विकास के दौर में पहुंचा दिया है। वे कौन से कारण तथा ताकतें हैं जिन्होंने भूमण्डलीकरण का नारा लगाकर हिमाचल जैसे राज्य में भी मनुष्य–प्रकृति रिश्तों को तबाह कर डालने की योजना बनाकर उस पर अमल भी शुरू कर दिया। वास्तव में वैश्विक पूँजी तथा बाजारीकरण की मूल जरूरतों की पूर्ति के लिए शहरीकरण का विस्तार तथा लोक जीवन का खात्मा उसकी रणनीति के मुख्य बिन्दुओं में हैं। बाजार का विस्तार, शहरों का विस्तार, यातायात, नयी परियोजनाओं तथा उत्पादन केन्द्रों की स्थापना, सुख–सुविधा एवं विलासिता का प्रबंध– यह सारा का सारा प्रयोजन तभी सिद्ध हो पायेगा जब ज्यादा से ज्यादा ईंधन (तेल, डीजल, पेट्रोल) तथा ऊर्जा (थर्मल पावर, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा) का इंतजाम हो साथ ही साथ निर्माण कार्यों (सड़क, रेल, हवाई अड्डे, पुल, फ्लाईओवर, माल्स, होटल, आवासीय परिसर आदि) के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, लोहा आदि उपलब्ध हो। उत्पादन कार्यों में ईंधन, ऊर्जा के साथ ही साथ पानी की भी ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगी। यह सारी जरूरतें प्रकृति के बेतहाशा दोहन से ही संभव हैं।

अतएव पर्यावरण की रक्षा के लिए मुनाफे हेतु प्रकृति की दोहन की प्रक्रिया पर रोक लगाना होगा। इस रोक का मतलब होगा विकास की मौजूदा बाजारवादी मुनाफा आधारित प्रक्रिया को रोकना अर्थात् इस अमानवीय प्रक्रिया को चलाने वाली व्यवस्था में बदलाव और इससे अपनी मुनाफे की 'अतृप्त प्यास' बुझाने में लगे लोगों को व्यवस्था के संचालन और नियंत्रण से अलग करना।

यह मामला मात्र पर्यावरण का नहीं बल्कि उस व्यवस्था, सरकार और शासन का है जो अपने हित में किसी भी स्तर पर कुछ भी करने को तत्पर है। पर्यावरण की रक्षा का मतलब है इस अमानवीय व्यवस्था का खात्मा। क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा उसके लुटेरों के कायम रहते संभव है ? और बिना जल, जंगल, पहाड़ जमीन को बचाये क्या पर्यावरण बच सकता है ? विलासितापूर्ण जीवन और प्रकृति की रक्षा एक साथ संभव है ?

ऊर्जा का राजनैतिक अर्थशास्त्र

आज जिस वैश्विक परिवेश में हम लोग जी रहे हैं उसमें विकास को सतत जारी रखने के लिए ऊर्जा/विद्युत के अधिक से अधिक उत्पादन को जरूरी माना जा रहा है। विकास को जिस तरह से परिभाषित किया जा रहा है उसमें अधिक ऊर्जा उत्पादन को उसका कारक मानकर सरकारें/कारपोरेट तथा उनके समर्थक विद्वान उसे अहम मान रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी देश को विकसित देश होने के लिए ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्रथम मानक है। वास्तव में विकास की यह परिभाषा ही अपने आप में गलत है। क्योंकि यह विकास का माडल ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उपभोग पर आधारित है, जो सिर्फ अमीरों और साधन सम्पन्न लोगों की पहुंच में है। वे ऊर्जा का उपयोग जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए न करके अपने ऐश–ओ–आराम के लिए कर रहे हैं। निजी वाहनों की
बाढ़, हर जगह ए.सी. की चाहत तथा ऐसे गैरजरूरी उत्पाद पर ऊर्जा का उपयोग जिन्हें 'यूज एण्ड थ्रो' कहा जा सकता है; ने भी ऊर्जा की जरूरतों को गैरजरूरी तरीके से बढ़ाया है।

भारत जैसे देश में जहां आज भी गांव की 60 प्रतिशत आबादी रोशनी के लिए बिजली के बल्ब से महरूम है, वहां विकास की यह अवधारणा न्यायसंगत नहीं है कि अमीर व शहरी आबादियां बिजली का उपयोग ऐशपरस्ती व लापरवाही से करें तथा देश

की आधे से ज्यादा आबादी अपनी आधारभूत जरूरतों के लिए बिजली से महरूम रहे। जिन–जिन इलाकों में बिजली उत्पादन की बड़ी–बड़ी इकाइयां स्थापित हुईं वहां के स्थानीय मूलवासियों ने अपनी जमीनें–जंगल–जल तथा आजाविका के परंपरागत साधन खोये और विस्थापित भी हुए। इसके बदले इन परियोजनाओं ने उन्हें आज तक कहीं भी ठीक से पुनर्वासित व पुनर्स्थापित नहीं किया। यही कारण है कि हर जगह जहां–जहां भी बिजली उत्पादन के संयंत्र लग रहे हैं, चाहे वे थर्मल, जल विद्युत व न्यूक्लियर विद्युत के हों, उनके विरोध में स्थानीय जनता खड़ी हो रही है।

आज विश्वभर में हम जलवायु परिवर्तन पर बहस कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि वैश्विक गर्मी को बढ़ाने में तथा आसमान में ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व बढ़ाने में ऊर्जा उत्पादन के साधनों की सबसे ज्यादा भूमिका है। कोयला, गैस, पेट्रोल तथा बड़े बांध इत्यादि भी आज वैश्विक गर्मी बढ़ाने के मुख्य कारक बन गये हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन की इकाइयां हवा, जल व धरती में रेडिएशन फैलाने वाली हैं तथा अभी जापान की घटना के बाद तो यह साबित हो गया कि ऊर्जा उत्पादन का यह तरीका बहुत ही आत्मघाती साबित हो रहा है।

जल विद्युत उत्पादन

जल विद्युत उत्पादन एक सीमा तक सुरक्षित विकल्प हो सकता है बशर्ते उसमें बड़ी परियोजनाएं न बनें जिनमें बड़े बांध न बनें, बड़ा निर्माण न हो और न ही भूमिगत सुरंगें बनाई जायें। परन्तु जिस तरह की परियोजनाएं आज बन रही हैं उन सबमें बड़ा उत्पादन का प्रारूप होता है, बड़ी–बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं, बड़े बांध बन रहे हैं, जिससे पहाड़ों के ढलानों में जंगलों का नाश हो रहा है, पहाड़ खिसक रहे हैं, सुरंगों के ऊपर के जल स्रोत सूख रहे हैं तथा नदियों के तट सूख गये हैं, जो स्थानीय वातावरण व जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं। हिमालय में प्रस्तावित ये परियोजनाएं और भी ज्यादा घातक हैं, क्योंकि यह ग्लेशियरों के नजदीक भी लग रही हैं, जिस कारण वे ग्लेशियरों के पिघलने का कारण भी बन रही हैं।

इसलिए बिजली उत्पादन के सवाल पर यह कहना उचित होगा कि बिजली का देश की जनता में बराबर बंटवारा या सबको बिजली हासिल करने का अधिकार हो। बिजली कारखानों से प्रभावित व विस्थापित होने वाले स्थानीय समुदायों को उसकी कमाई में हिस्सेदारी दी जानी होगी। बिजली की गैरजरूरी व ऐशपरस्ती के लिए प्रयोग व अन्य दूसरे कारणों से हो रही बरबादी को रोकना बहुत जरूरी है। बिजली उत्पादन की छोटी–छोटी जल विद्युत ईकाइयां लगाकर स्थानीय बिजली की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं तथा स्थानीय ग्रिड आधारित विद्युत वितरण की नीति बनाई जानी चाहिए। वैकल्पिक जल विद्युत दोहन की तकनीकों जैसे कायनेटिक टरबाइन, बोरटैक्स तकनीक, फलोटिंग टरबाइन व लघु जल विद्युत परियोजनायें, जो नदी के बहाव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करतीं, को बढ़ावा मिले।

भारत में जल विद्युत परियोजनाएं व उन के प्रभाव

भारत में दो तरह की जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं– बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं व लघु जल विद्युत परियोजनाएं। सरकारी नीति के अनुसार बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में वे परियोजनाएं शामिल हैं जो 25 मेगावाट से बड़ी हैं जबकि इससे छोटी उत्पादन इकाइयों को लघु या माइक्रोहाइडल कहा जा रहा है। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में जलाशय बनते हैं, परन्तु पिछले कुछ सालों से 'रन आफ द रिवर' वाली परियोजनाएं बन रही हैं जिनमें पुरानी बहुउद्देशीय डैम परियोजनाओं से मात्र भिन्नता यह है कि उसमें जलाशय छोटा होगा, परन्तु बड़ी–बड़ी, लम्बी–लम्बी भूमिगत सुरंगों का निर्माण होता है। इन परियोजनाओं के निम्न प्रभाव, खासकर सतलुज नदी घाटी, किनौर तथा रावी नदी घाटी चंबा में देखे गये हैं–

• जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश हो गया तथा चरागाह बरबाद हो गये हैं।
• पहाड़ों के नीचे सुरंगें खोदने से पहाड़ की चट्टानों में दरारें आ गयीं जिससे सुरंग के ऊपर के जल स्रोत सूख गये।
• भू–स्खलन तथा भूमि कटाव बड़े पैमाने पर शुरू हो गया जिसका उदाहरण नाथपाझाखड़ी जल विद्युत
परियोजना है, जिसमें परियोजना बनने के कई सालों बाद परियोजना के ऊपर की पहाड़ियों में बसे कण्डार और झाखड़ी गांव धंस गये तथा उन्हें पुनर्स्थापित करना पड़ा है। यही स्थिति टिहरी डैम बनने के बाद देखी गयी। जहां जलाशय के चारों ओर के पहाड़ दरक रहे हैं।
• नदी तट कई–कई किलोमीटर तक सूख गये हैं जिससे जल, जीवन तो प्रभावित हुआ ही परन्तु जलाशय के नीचे की आबादी पानी व अन्य उपयोगों से भी महरूम हो गयी है। उदाहरण के लिए चम्बा में रावी नदी 73 किलो मीटर बहती है उस पर बन चुके, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सभी प्रोजैक्ट बन जाने पर नदी केवल 3 किलो मीटर ही कुदरती स्थिति में जिन्दा रहेगी, बाकी या सुरंग में या बांध की झील में। यह कितनी बड़ी गड़बड़ी है और कुदरत इसकी कितनी बड़ी सजा देगी कोई नही जानता।

• जंगल कम होने, जलाशय बनने से आसपास के इलाके में गर्मी की बढ़ोत्तरी हुई है जिससे स्थानीय कृषि व वनस्पति के उत्पादन पर फर्क पड़ा है। खासकर सेब तथा अन्य फलों के उत्पादन में इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
• स्थानीय लोगों की आजीविका के परंपरागत संसाधनों पर दुष्प्रभाव पड़ा है जबकि विकल्प के तौर पर
स्थानीय जनता को कुछ भी नहीं मिला है। जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय जनता को परियोजना
निर्माण के दौरान मजदूरी का काम मिलता है परन्तु उसके बाद स्थानीय लोगों को किसी भी परियोजना ने स्थायी रोजगार नहीं दिया।
• बहु–उद्देशीय जलाशय परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर पूरे देश में विस्थापन हुआ तथा आज तक भी बहुत सी परियेाजनाओं में लोगों को पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका है। भाखड़ा बांध, पोंग बांध, दामोदर घाटी बांध और टिहरी बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के मसले आज तक लटके हुए हैं जबकि नर्मदा घाटी में इतने जन आंदोलन के बाद भी पुनर्वास और पुनर्स्थापना के मसले हल नहीं हो पाये हैं।
विस्थापन से सब से बूरा असर महिलाओं व बूढे लोगों पर पडता है जबकि भूमि हीन व दलीत आवादी जिन के पास खेती भूमि कम है की आजिविका जो जल जंगल व अन्य मजदूरी पर आधारित है को पुनर्वास और पुनर्स्थापना में कुछ खास नहीं मिलता। भूमि हीनों को मुआवजा भी कम मिलता है।
रन आफ द रिवर परियोजनाएं प्रत्यक्ष रूप से कम लोगों को विस्थापित करती हैं। इसलिए विस्थापन की चर्चा कम होती है। परन्तु उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव तथा प्रभावित क्षेत्र बहुत ज्यादा है। सुरंगों के ऊपर रहने वाली बस्तियां, जिन्हें विस्थापित नहीं माना जा रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लघु जल विद्युत परियोजनाएं जल विद्युत उत्पादन का एक अच्छा विकल्प है परन्तु लघु विद्युत परियोजनाएं सरकारी जल नीति के अनुसार 25 मेगावाट से कम उत्पादन करने वाली इकाइयां हैं जो अनुचित है। लघु जल विद्युत उत्पादन की इकाइयों में उन इकायों को माना जाना चाहिए जो 500 किलोवाट से कम उत्पादन करती हैं। आज जिस तरह की लघु जल विद्युत परियोजनाएं लग रही हैं वे कानून की आड़ में पर्यावरण प्रभाव अंकेक्षण (ईआईए) तथा पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के बिना ही लगाई जा रही हैं। इन लघु विद्युत परियोजनाओं को छोटे–छोटे नदी–नालों पर लगाया जाता है। पहाड़ में स्थानीय जनता इन छोटी नदी या नालों पर अपनी तमाम पानी की जरूरतों के लिए निर्भर है, जैसे सिंचाई, पेयजल और घराट (पनचंकी), मछली इत्यादि। ऐसे में जहां–जहां भी आबादी के नजदीक लघु जल विद्युत परियोजनाएं लग रही हैं वहां स्थानीय जनता और परियोजना निर्माताओं के बीच पानी का झगड़ा चल रहा है। लघु जल विद्युत परियाजनाएं हर नाले में स्थानीय पनचक्कियों में सुधार करके लगानी चाहिए, तथा इन पन चक्कियों में 500 किलोवाट तक जल विद्युत उत्पादन की तकनीक विकसित की जाये। इन लघु परियोजनाओं की स्थानीय, निजी और सामूहिक मलकियत होनी चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बिजली का दोहन भी ज्यादा होगा।

लुहरी जल विद्युत परियोजना

सतलुज जल विद्युत निगम लुहरी जल विद्युत परियोजना जिसमें 775 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रस्तावित है–यह परियोजना स्थानीय बागवानी, खेती, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आजीविका एवं स्वयं सतलुज नदी के लिए अत्यन्त घातक होगी। इस परियोजना में नीरथ में 86 मीटर ऊंचा बांध बनेगा जिसकी झील की लंबाई 6.8 किलोमीटर होगी। नीरथ से मरोला (तहसील करसोग) तक 2 सुरंगें जिनकी लंबाई 38 किलोमीटर होगी, निकाली जाएंगी। झील में 153 हेक्टेयर तथा कुल अलग अलग परियोजना कार्यों के लिए 368 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार 2337 परिवार लैण्डलूजर होंगे जिनकी जमीन इस परियोजना में जाएगी (पूरी या आंशिक), जबकि मात्र 37 परिवार विस्थापित होंगे। 24 गांवों में 9674 लोग प्रभावितों में शामिल होंगे। जबकि परियोजना के 10
किलोमीटर के घेरे में पहाड़ों के ऊपर के 168 गांव आते हैं जिन्हें प्रभावितों में शामिल नहीं किया गया है। इस परियोजना पर कुल 4795 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह दावा किया जा रहा है कि परियोजना शुरू होने के बाद कंपनी की वार्षिक आय 800 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 5–6–7 मई 2011 को नीरथ, खेखसू व परलोग में जन सुनवाई रखी गयी थी (परंतु सभी जगह हुई नहीं) जो कि पर्यावरण मंजूरी के लिए जरूरी है। लोगों को जन सुनवाई से एक महीना पहले इसकी संपूर्ण जानकारी के दस्तावेज, जिसमें संपूर्ण पर्यावरण प्रभाव अंकेक्षण रिपोर्ट (ईआईए) हिंदी व अंग्रेजी में सरल भाषा में कानूनन उपलब्ध होनी चाहिए। परन्तु लोगों को यह रिपोर्ट नहीं दी गयी।

आस–पास की जलविद्युत परियोजनाओं व बांधों के अनुभव को देख कर हम जलविद्युत परियोजनाओं की ताजा तथा दीर्घकालीन हानियां आपके सामने रख रहे हैः–

- हमारा क्षेत्र सेब तथा अनेक दूसरे फलों व सब्जियों के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है जो हमारी आजीविका का मुख्य आधार हैं। खेती भूमि कम होने, वातावरण में धूल व धुन्ध, प्रदूषण व गर्मी बढ़ने से भविष्य में खाद्य सुरक्षा व आजीविका का बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होने वाला है।

- राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि कमतर हो रही है। नदी किनारे की भूमि प्रायः सबसे अच्छी और उपजाऊ होती है। बांधों में ये ही जमीने या तो डूब रही हैं या अन्य बांध कार्यो में जैसे बांध की कालोनी आदि में जा रही हैं।
- सुरंग परियोजनाओं में जितनी जमीन डूब रही है परियोजना कॉलोनी व अन्य कार्यों में उससे ज्यादा जमीन जाती है। परियोजना वाले बाद में बची जमीन वापिस नहीं करते जैसे मजदूर कॉलोनी आदि की जमीन।
- पूनर्वास व पुनर्स्थापना का कार्य कभी ठीक से नहीं होता है जबकि लुहरी परियोजना की इस EIA Summary में इस बारे में कुछ भी विस्तार से नहीं लिखा गया है।
- यह EIA प्रभावित, अप्रत्क्ष प्रभावित व Land looser को परिभाषित नहीं करती तथा अलग–अलग श्रेणी के अधिकारों व उनके प्रति कम्पनी के दायित्वों को इंगित नहीं करती है ।
- वन अधिकार कानून –2006 जो 1–1–2008 से पूरे देश में लागू हो चुका है, के प्रावधानों के तहत पहले अन्य परम्परागत वनवासी–वन बरतनदारों के वन अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। उन्हें वन भूमि पर अधिकार/कब्जा मिलने के बाद ही अगली कार्यवाही हो सकती है। इस नियम की लगातार अवहेलना की जा रही है।
- केन्द्रीय सरकार खनन कार्य पर नया कानून बना रही है जिस में स्थानीय प्रभावित, अप्रत्यक्ष प्रभावित व Land looser को खनन कम्पनी में 26 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है। **जलविद्युत परियोजनाओं में भी** स्थानीय प्रभावित, अप्रत्यक्ष प्रभावित व Land looser को 26 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए।
- राज्य के वनों के नष्ट होने का बड़ा कारण बांध, टनल, खनन, मलबा व बडा निर्माण है। जलविद्युत परियोजनाओं में बडे पैमाने पर खनन हो रहा है। इसी कारण पूरे राज्य में नदियों के किनारे असुरक्षित हो रहे हैं।
- सुरंग परियोजनाओं में जहां से नदी को सुरंग में डालते हैं फिर बिजलीघर तक, जहां से पानी बाहर निकलता है, वहां तक नदी तल सूखा रहता है या बहुत ही कम पानी रहता है। इस परियोजना में सतलुज नदी का 38 किलोमीटर हिस्सा सुरंग में और 6.8 किलोमीटर हिस्सा जलाशय में होगा, जबकि 40 किलोमीटर नदी तट सूख जाएगा, तो नदी कहां बची ? इस से घाटी के भूजल व जल जीवन पर बुरा असर पड़ेगा।
- स्थानीय लोगों का नदी पर अधिकार नहीं बचा रह गया है। धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यों जैसे स्नानपर्व, दाह–संस्कार, नदी–पूजन आदि के लिए नदी में पानी नहीं रह जायेगा।
- सूखी नदी के कारण, किनारों पर रहने वालों खासकर किसानों व पशुपालकों को पानी नहीं मिल पाएगा।
- पूरी नदी घाटी के किनारे रहने वालों को नदी से मिलने वाले लाभ मछली, मकानों के लिये रेत और बजरी तथा नदी में बह कर आने वाली लकड़ी आदि मिलनी समाप्त हो जाएगी।
- सुरंग परियोजनाओं में सुरंग निर्माण हेतु किये जाने वाले विस्फोटों के कारण जल स्रोत अपना स्थान बदलते हैं। वे प्रायः सूख जाते हैं। इसका कोई भी हल नहीं होता।
- सुरंग के ऊपर के मकानों में दरारें पड़ती हैं जिसके कारण मकान कमजोर होते हैं। हल्के भूकंप से भी गिरने का खतरा बना रहता है। भूमि में भी दरारें पड़ जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप भू–स्खलन तथा भूमि कटाव बड़े पैमाने पर होता है। पूरी सतलुज नदी घाटी में निर्माण व सुरंगें बनने से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं जिससे भूस्खलन व भूमि कटाव बेहद बढ़ गया है।
- परियोजनाओं से स्थानीय आबादी के अधिकारों का हनन व दूरगामी पर्यावरणीय प्रभावों की केन्द्र व राज्य स्तर पर निगरानी नहीं हो रही है तथा पूर्ववर्ती बांधों व टनलों से हुए नुकसान से सबक नही लिया जा रहा है। परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व अध्ययन सही व पूरे ढंग से न होने के कारण समस्यायें और बढ़ी हैं।
- एक ही नदी पर एक के बाद एक बन रही जल विद्युत परियोजनाओं व बांधों के आपसी नकारात्मक प्रभाव व नदी तट सूखने इत्यादि का भी कोई अध्ययन नहीं हो रहा है। शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को उठाया गया है परन्तु इसे परियोजनाओं में लागू नहीं किया जा रहा है ।
- परियोजना के कार्यों के कारण उठती धूल से घास और वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, विस्फोटों के कारण भूजल का स्तर गिर जाता है और मलबे के इधर–उधर फेंकने के कारण पेड व वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं।
- इन परियोजनाओं के बनने से बहती नदी का पानी झील में बदल जाता है जिससे जल में आक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जो पानी पीने के लिए अयोग्य बताया गया है।
- इन परियोजनाओं के कारण जीव–जन्तुओं पर भी बुरा असर पड़ता है तथा बंदरो, सुअर, भालू व बाघ आदि का प्रकोप ऊपर की आबादी वाले इलाकों में बढ़ता है।
- परियोजनाओं की झील से बनने वाली धुंध व भाप के कारण उस इलाके के आसपास के मौसम में बदलाव आता है तथा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी बढ़ने का खतरा है। जलोड़ी जोत से नारकण्डा के बीच में पड़ने वाली पूरी घाटी में

ये दुष्प्रभाव साफ–साफ दिखेंगे।

- आज पूरे राज्य में पहाड़ों पर टावर लाइनों के खतरे बढ़ रहे हैं। इन टावर लाइनों के कारण जंगलों का विनाश तो हो ही रहा है साथ में कई दुर्घटनाएं भी हम देख रहे हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमीशन लाइनों से रेडिएशन होता है जिससे मानव, जीव–जन्तु व वनस्पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
- यहां का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा रहता था परन्तु बांधों व बड़े निर्माण की वजह से यहां गर्मी बढ़ी है जिसका स्थानीय वन, फसलों व फलों पर ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। हमारा क्षेत्र सेब का क्षेत्र है भविष्य में ये यहां से लुप्त हो जाएंगे।
- वैश्विक स्तर पर 0.7 डिग्री तापमान एक सदी में बढ़ रहा है जबकि हिमालय क्षेत्र में यह बढ़ोत्तरी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आंकी गयी है।
- हजारों निर्माण मजदूर एक ही स्थान पर रहते हैं जिससे प्रतिदिन की गंदगी से विभिन्न बीमारियां बढ़ती हैं।
- संस्कृति पर तो असर पड़ ही रहा है जिसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता। सबसे बुरा असर महिलाओं की स्वतंत्रता पर पड़ता है। समाज विरोधी तत्वों का जमावडा बढ़ता है।
- संसार भर में ओजोन परत के पतला होने व ग्रीन हाउस गैसों तथा अन्य कारणों से जो वैश्विक गर्मी पैदा हो रही है, उसमें बनावटी झीलें व बांध भी एक कारण हैं।
- हिमाचल अति भूकम्प संवेदी इलाका है जो श्रेणी 4 व 5 में पडता है। सतलुज नदी घाटी पहले ही भूकंपों से ग्रस्त है। इतने सारे बांधों के निर्माण से भूकंप का खतरा और बढ़ेगा।
- राज्य सरकार की नीति होने के बावजूद भी किसी भी परियोजना में स्थानीय लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार नहीं मिला है।
- सतलुज नदी घाटी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में खाबशासों में प्रवेश करती है तथा प्रदेश में भाखड़ा बांध तक 250 किलोमीटर बहती है। केवल किनौर में ही इस पर 4 बड़ी परियोजनायें; नाथपा झाखडी–1500 मेगावाट, संजय जल विद्युत परियोजना–120 मेगावाट, बास्पा–दो–300 मेगावाट, रूकती– 1.5 मेगावाट चल रही हैं तथा कडछम बांगतु–1000 मेगावाट, कसांग–166 मेगावाट, सोरंग–100 मेगावाट, टीडोंग–100 मेगावाट निर्माणाधीन हैं जबकि 12 नई परियोजनायें प्रस्तावित हैं। बिलासपुर में भाखड़ा बांध 1960 में बन गया था तथा कोल बांध–1000 मेगावाट व रामपुर परियोजना–800 मेगावाट निर्माणाधीन हैं और अब लुहरी परियोजना इन दोनों के बीच में प्रस्तावित की जा रही है।
- प्रदूषण की मार से क्षेत्र का पर्यावरण ही नही–लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड रहा है। हिमाचल में जहां–जहां खनन कार्य बढे हैं बहां की आबादी धूल से होने वाली सिलकोसिस, दमा, टी बी, चर्म रोग व अन्य बीमारियों से प्रभावित हो रही है जबकि सरकार इस की जांच भी नहीं कर रही है।
- रामपुर के इलाके में एक नई **बीमारी रेत के मच्छर से** हो रही है। इसका इलाज बहुत महंगा है। लुहरी क्षेत्र में भी धूल बढने से यह बीमारी भविष्य में फैल सकती है।
- हमारा क्षेत्र किनौर–शिमला पर्यटन क्षेत्र के बीच में पडता है, इस लिए उक्त **प**रियोजना से पर्यटन उद्योग पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बिगाड़, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से भी सतलुज घाटी में इन जल–विद्युत परियोजनाओं का निर्माण सही नहीं है। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें मांग करनी चाहिए कि:–

- **लुहरी जलविद्युत परियोजना के संबंध में जन सुनवाई फिर से करवाई जाए। तथा पहले से ही स्थानीय जनता को पूरी जानकारी दी जाए व व्यापक प्रचार किया जाए।**
- **स्थानीय जनता को परियोजना के तमाम सम्पूर्ण दस्तावेज–** Complete Environment Impact Assessment(EIA) report, Environment Management Plan (EMP), Resettlement and rehabilitation plan (R&R), **हिन्दी व अंग्रेजी में जन सुनाई से पूर्व उपलब्ध हों ।**
- **सामाजिक प्रभाव अंकेक्षण रिपोर्ट (social empact assesment) बनाई जाए तथा इसे भी जनता के समक्ष रखा जाए। संपूर्ण परियोजना रिपोर्ट (Detail Project Report) DPR भी जनता को उपलब्ध करवाई जाए।**
- **शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट को अमल में लाया जाए ।**
- **38 किलोमीटर लम्बी दो टनल वाली लुहरी जल–विद्युत परियोजना का वर्तमान प्रारूप हमें मंजुर नहीं**

है।

- इस परियोजना में हो रही भूमि–अधिग्रहण की कार्यवाही को रोका जाए, जब तक कि इस परियोजना को तमाम मंजूरियां नहीं मिल जातीं।

हमारा सुझाव है कि सतलुज घाटी में नई प्रस्तावित जल–विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण रुप से बंद किया जाय। पूरे प्रदेश में इसके बजाय यहां बहुत सारी लघु जलविद्युत परियोजनायें लगें जिस से स्थानीय पर्यावरण न बिगडे तथा जनता के हितों व अधिकारों का हनन भी न हो।

आज हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर जनता जलविद्युत परियोजनाओं से हो रहे तथा भविष्य में आजीविका व पर्यावरण पर होंने वाले बुरे प्रभावों के कारण आंदोलनरत हैं। जडेरा में हुल–1 लघु जल–विद्युत परियोजना जो 6 पंचायतों के पीनें और सिचाई के पानी को छीन रही है के निर्माण के विरोध में पिछले 60 दिनों से जनता धरनें पर बैठी है। जन विरोध के कारण पुलिस संरक्षण के बाबजूद कम्पनी आज तक काम शुरु नहीं कर सकी। किन्नौर के लोग कई सालों से इन परियोजनाओं के विरोध में संघर्षरत हैं। रैणुका बांध के निर्माण का स्थानीय जनता कई सालों से विरोध कर रही है। कुल्लु हरिपुर नाला परियोजना की जनता खिलाफत कर रही है। भाखडा व पोंग बांध विस्थापित आज तक अपने पुनर्वास और पुनर्स्थापना के मसलों के हल के लिए संघर्षरत हैं। जहां–जहां कहीं भी बडी जलविद्युत परियोजनाऐं बनी हैं वहां–वहां जनता व प्रकृति के साथ अन्याय ही हुआ है।

आज जलविद्युत दोहन का वैकल्पिक रास्ता अपनानें की जरुरत है जो स्थानीय लोगों की आजिविका, वन, वन्य जीव, खेती, बागवानी, पशुपालन, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर बुरा असर न करे। आज समय आ गया है कि बडी जल–विद्युत परियोजनाओं का निर्माण प्रदेश में पूणरुप से बन्द हो।

आप से निवेदन है कि भारी संख्या में पांच जून को ठीक 11 बजे खेख्सू–लुहरी पंहुच कर सतलुज घाटी को बचाने के लिए आगे आऐं।

(सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति मंडी–शिमला–कुल्लु, हिमालय नीति अभियान हिमाचल प्रदेश, हिम लोक जागृति मंच किनौर, भाखडा विस्थापित सुधार समिति बिलासपुर, सर्व दलीय समिति बिलासपूर नगर, रैणुका डैम जन संघर्ष समिति सिरमौर, साल घाटी बचाओ संघर्ष मोर्चा चम्बा, हिमालय बचाओ समिति चम्बा, देओ बडेओगी संयुक्त संघर्ष एवं पर्यावरण संरक्षण समिति करसोग, जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति हरिपुर कुल्लु, ए सी सी बर्माणा विस्थापित एवं प्रभावित समिति**)**

Himalaya Niti Abhiyan Samiti

Village Khundan PO Banjar District Kullu HP.

gumanhna@gmail.com, Ph. 9418277220